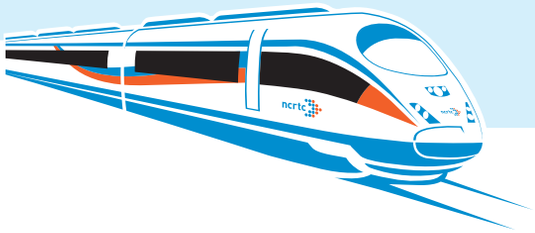

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

अनुक्रमणिका

1	निदेशक–मंडल	2
2	अध्यक्षीय संबोधन	3
3	निदेशक की रिपोर्ट	5
4	साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (अनुबंध–1)	18
5	फार्म संख्या एओसी–2 (अनुबंध–2)	19
6	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध–3)	21
7	फार्म संख्या एमजीटी–9 वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण (अनुबंध–4)	30
8	स्वतन्त्र लेखा परिक्षक की रिपोर्ट	39
9	लेख परिक्षक का अनुपालन प्रमाण पत्र	40
10	तुलन पत्र	42
11	लाभ–हानि का विवरण	44
12	नकदी प्रवाह विवरण	46
13	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	48
14	वित्तिय विवरणों के लिए नोट्स	87
15	भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां	87

लेखा परीक्षक
मैर्सस ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएटस्
चार्टड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव
मैर्सस अनील आनंद,
सचिवालय लेखा परीक्षक, नई दिल्ली

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालयः
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
7/6, सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूषनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049
फोन नंबरः 91–11–41066943 फैक्सः 91–11–41066953
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

निदेशक मंडल

(20 सितम्बर, 2019 को)

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा
अध्यक्ष
सचिव
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001

श्रीमति अर्चना अग्रवाल
निदेशक
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
कोर –4–बी, पहली मंजिल
आवास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली– 110003

श्री के संजय मूर्ति
निदेशक
अपर सचिव,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली–110001

श्री पियूष अग्रवाल
निदेशक,
अतिरिक्त सदस्य/योजना,
रेल मंत्रालय, रेल भवन,
नई दिल्ली–110001

श्री विजय कुमार देव
निदेशक,
मुख्य सचिव,
दिल्ली सरकार,
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

श्री अपूर्व कुमार सिंह
निदेशक,
शहर और देश की योजना के
प्रमुख सचिव, नया सचिवालय,
हरियाणा सरकार

श्री दीपक कुमार,
निदेशक,
प्रमुख सचिव,
आवासन, उत्तर प्रदेश सरकार,
बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

श्री सुबोध अग्रवाल
निदेशक
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग, राजस्थान सरकार,
एसएसओ बिल्डिंग, सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान

श्री विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110049

श्री अनिल कुमार श्रृंगारी,
निदेशक परियोजना
एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110049

श्री महेन्द्र कुमार
निदेशक विद्युत एवं चलस्टॉक
एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110049

श्री नवनीत कौशिक
निदेशक सिस्टम
एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110049

श्रीमती नमिता मल्होत्राा
निदेशक वित्त
एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110049

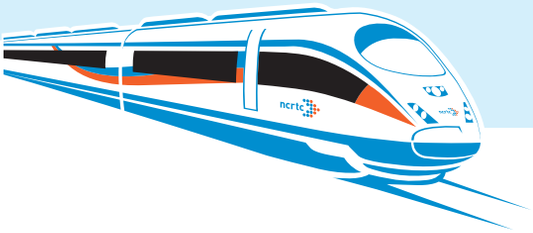

अध्यक्ष महोदय का भाषण

प्रिय शेयरधारकोंए

कंपनी के 6 वें वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करना मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और अंकेक्षित वार्षिक लेखाए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टए आप सभी को पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति के साथ में पढ़ा हुआ मान रहा हुँ।

माननीय प्रधान मंत्री की परिकल्पना में केंद्र सरकार बजट 2019 में उल्लिखित निवेश द्वारा संचालित भारत को पाँच ट्रिलियन–डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, जो सरकार की पहुंच और संबंधतता पर ध्यान केंद्रित करती है। मुख्य रूप से भारत के मेगा.क्षेत्रों द्वारा विकास को संचालित किया जाएगा। अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में एक ट्रिलियन.डॉलर का योगदान देने का अनुमान है।

इस वृद्धि के अगली पीढ़ी की गतीशीलता बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्सकता होगी ताकि वे मदद देने मे और ईंधन विकास मे सक्षम हो सकें। रेल आधारित उच्च प्रवाह क्षमता वाली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) जैसे कि मेट्रोज और क्षेत्रीय रेल प्रदूषण एवं भीड़ और असहनीय शहरी फैलाव के बढ़ते मुद्दों को सुलझाने के लिए आवागमन का पसंदीदा विकल्प है क्योंकि परिवहन के ये तरीके तेजए सुरक्षितए अधिक विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल समाधान हैं।

आपकी कंपनी एनसीआर में दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–पानीपत और दिल्ली–अलवर जैसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के पहले तीन गलियारों को लागू करके इस परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है।

मैं संक्षेप में इन तीन आरआरटीएस गलियारों की वर्तमान स्थिति पर गौर करूंगा।

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल 30,274 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी।

परियोजना की आधारशिला 08.03.2019 को मेरठ में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तथा गाजियाबाद के माननीय और आवास और शहरी मामलों के मंत्री की उपस्थिति में रखी गई थी।।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि साहिबाबाद से दुहाई तक के एलिवेटेड पुल के निर्माण के ठेके 17 किमी के प्राथमिकता वाले हिस्से में चार एलिवेटेड स्टेशनों दो पैकेज में दिये जा चुका है पहले ही खंड पर काम शुरू हो चुका है। अगले 32 किमी खंड और दुहाई से शताब्दी नगर के बीच सात एलिवेटेड स्टेशन के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। कॉरिडोर के लिए सामान्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। रोलिंग स्टॉक के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

न्यू अशोक नगर – साहिबाबाद खंड और अन्नद विहार भूमिगत स्टेशन में सुरंगों के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदा भी जल्द ही आमंत्रित की जाएगी।

ADB के अध्यक्ष ने अगस्त 2019 में NCRTC कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया और परियोजना कार्यान्वयन में NCRTC के प्रयासों की सराहना की। एडीबी द्वारा ऋण की मंजूरी की प्रक्रिया अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।

दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोरः

1. दिल्ली से एसएनबी के लिए फेज–I

दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर के फेज–एक की दिल्ली (एसकेके) से एसएनबी (शाहजहांपुर–नीमराणा–बहरोड़) तक की डीपीआर हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। राजस्थान और दिल्ली सरकार के एनसीटी के लिए भारत सरकार की स्वीकृति का इंतजार है।

परियोजना के लिए 20,220.08 करोड़ रु. का वित्त पोषण प्रस्ताव 05.08.2019 को JICA ODA रोलिंग योजना में शामिल किया गया है।

कॉरिडोर में भू–तकनीकी जांच, उपयोगिता शिफ्टिंग और पाइल लोड परीक्षण की पूर्व–निर्माण गतिविधियां प्रगति में हैं। तीन एलिवेटेड स्टेशनों के डिजाइन और आईडीपीएल कॉम्प्लेक्स से राजीव चौक तक एलिवेटेड पुल के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

2. फेज–II एसएनबी से सोतानालाः

NH-48 के साथ संरेखण को राजस्थान, रेलवे एवं एन सी आर पी बी (NCRPB) की सरकार के परामर्श से चुना गया है। परामर्श समन्वय समिति द्वारा अनुभाग के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

दिल्ली–पानीपत कॉरिडोरः

जल्द ही डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

स्वीकृतिः

निदेशक मंडल की ओर से मैं भारत सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयोंए दिल्ली के एनसीटी सरकारए हरियाणा सरकारए राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सद्भावना और सहयोग के लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। निदेशक मंडल की ओर से, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस परियोजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हासिल करने के परिणामस्वरूप टीम एनसीआरटीसी द्वारा की गई कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की सराहना करना चाहूंगा।

धन्यवाद,

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
स्थानः नई दिल्ली **अध्यक्ष**

दिनांकः 20.09.2019 **NCR परिवहन कॉर्प लिमिटेड**

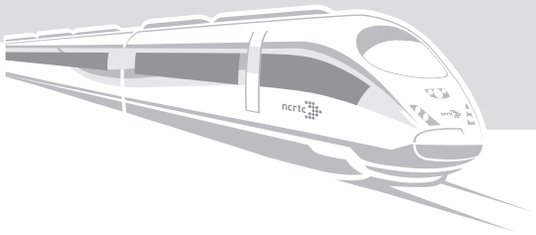

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

द शेयरहोल्डर
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और अन्य निर्धारित विवरणों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 6 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपार खुशी हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ लाख)

विवरण	2018–19	2017–18
कुल आय (मुख्य रूप से सावधि जमा / फ्लेक्सी जमा पर ब्याज से अन्य आय)	767.29	634.00
व्यय (कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय)	383.25	268.79
कर देने से पूर्व लाभ	**384.04**	**365.21**
कर व्यय	105.01	95.44
कर अदायगी के बाद लाभ	279.03	269.77
वर्ष के अंत में नेटवर्थ	21,714.56	11,464.94
वर्ष के अंत में संचयी पूंजीगत व्यय	25,950	4,508

पूंजी संरचना

कंपनी की चुकता मूल पूंजी रु. 100.00 करोड़ है ।

सभी स्टेकहोल्डर्स ने अपने–अपने हिस्से का टेंडर कर दिया था और उसके अनुसार स्टेकहोल्डर प्रतिशत के साथ–साथ शेयरहोल्डिंग की वर्तमान सीमा यहां बताई गई है:

अनुक्रमांक	शेयरधारकों का नाम	राशि (लाख में)	प्रतिशत
1.	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	2250.00	22.50
2.	रेल मंत्रालय	2250.00	22.50
3.	राष्ट्र राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500.00	5.00
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250.00	12.50
5.	हरियाणा सरकार	1250.00	12.50
6.	राजस्थान सरकार	1250.00	12.50
7.	उत्तर प्रदेश सरकार	1250.00	12.50
	कुल	**10000.00**	**100**

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लाभांश

आपकी कंपनी को अपना परिचालन शुरू करना बाकी है और वर्ष के दौरान लाभ केवल 'अन्य आय 'से है जो मुख्य रूप से सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा पर ब्याज से मिलती है। इसलिए, वर्ष 2018–19 के लिए कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

सामान्य परिणाम के लिए मूल्यांकन

लाभ को बरकरार रखी गई आय के रूप में रखा गया है और वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य भंडार में स्थानांतरण के लिए कोई राशि की सिफारिश नहीं की गई है।

सामान्य संचयी विनियोग करने के लिए

लाभ को बरकरार रखी गई आय के रूप में रखा गया है और वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य भंडार में स्थानांतरण के लिए किसी भी राशि की सिफारिश नहीं की गई है।

भविष्य के परिणाम और परियोजना की स्थिति

माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत के बजट 2019 में निवेश की रूपरेखा द्वारा संचालित पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है जो सरकार की पहुंच और संयोजकता पर ध्यान को दर्शाता है। यह विकास मुख्य रूप से भारत के मेगा–क्षेत्रों द्वारा संचालित किया जाएगा।

निकट भविष्य में अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसी आर) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में एक ट्रिलियन–डॉलर का योगदान देने का अनुमान है। इस वृद्धि को अगली पीढ़ी की गतिशीलता

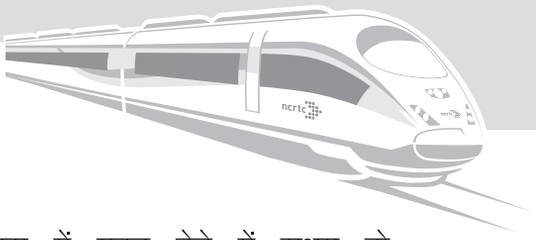

बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी ताकि वे विकास में मदद देने में सक्षम हो सकें। आपकी कंपनी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को लागू करके इस परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है।

31.03.2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की परियोजना की स्थिति निम्नानुसार हैः

अ. वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवधि में दिल्ली–मेरठ आरटीआर कॉरिडोर में प्रगति के मुख्य बिंदु

1. दिनांक 07.03.2019 को स्वीकृति आदेश के द्वारा, एमओएचयूए ने दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से परियोजना की वित्तपोषण योजना के तहत 30,274 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अवगत कराया है। अनुमोदन आदेश के अनुसार, प्राथमिकता वाले हिस्से (साहिबाबाद से दुहाई तक–17 किलोमीटर) को चार साल में पूरा किया जाना है और पूरी परियोजना को छह साल में पूरा किया जाना है।

2. दिनांक 07.03.2019, के पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय योगदान सहित परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने परियोजना के लिए सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

4. आरआरटीएस बुनियादी ढांचे पर स्वीकृत परियोजना मेरठ शहर के भीतर मेट्रो सेवाओं के संचालन की परिकल्पना करती है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6300 करोड़ रुपए पूंजीगत लागत बचत हुई है।

5. विभिन्न प्राधिकरणों से लगभग 90% संरेखण का अधिकार प्राप्त किया गया है। यमुना बाढ़ मैदान के क्षेत्र से आरआरटीएस सेतु के लिए, डीडीए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से मंजूरी के अधीन अनुमोदन प्रदान किया है। एनसीआरटी का अनुरोध एन जी टी के सक्रिय विचार के तहत है।

6. सराय काले खां और आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशनों पर जीएनसीटीडी के परामर्श से मल्टी–मॉडल एकीकरण योजनाएं अंतिम रूप में चल रही हैं।

7. क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार हैः

अ. साहिबाबाद से दुहाई तक प्राथमिकता खंड

- एलिवेटेड सेतु का विस्तृत डिजाइन, भू–तकनीकी जांच और सड़क चौड़ीकरण–पूर्ण हो चुकी है । स्टेशनों का विस्तृत डिजाइन प्रगति पर है
- दो स्थानों पर संरेखण का उल्लंघन करने वाली एचटी लाइनों का स्थानांतरण पूरा हो गया है और शेष स्थानों पर प्रगति जारी है
- खंबों की टेस्ट प्रक्रिया प्रगति पर है

ब. शेष अनुभाग

- दुहाई से शताब्दीनगर तक के एलिवेटेड सेक्शन के लिए विस्तृत डिज़ाइन

सलाहकार को काम पर लगाया गया है.

- पूरे संतुलन खंड में भू–तकनीकी जांच शुरू की गयी है
- दुहाई से शताब्दीनगर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं
- विभिन्न उपयोगिताओं का स्थानांतरण प्रगति पर है
- दिल्ली क्षेत्र के भीतर, विभिन्न प्राधिकरणों के साथ उपयोगिता स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई
- शोर और कंपन अध्ययन के लिए सीआर आर आई को नियुक्त किया गया है
- दिल्ली के सराय काले खान में और एक मेरठ में काम के लिए मेरठ में दो और सीपीएम कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

8. दिल्ली के भीतर आरआरटीएस की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता को विभिन्न अधिकारियों के आगे प्रस्तुत किया गया है और कुछ मामलों में, भूमि के आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है

9. फण्डींग की स्थितिः

- भारत सरकार ने 2018–19 के दौरान 100 करोड़ रुपये जारी किया और 2019–20 के लिए बजट में 974.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उ.प्र, सरकार ने 2018– 19 के दौरान 260 करोड़ रुपये जारी किया है और 2019–20 के लिए वार्षिक बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- दिल्ली सरकार के एनसीटी ने वित्त वर्ष 2018 –19 के दौरान 265 करोड़ रुपये जारी किया है।

10. वित्त वर्ष 2018–19 के करीब आने के बाद, निम्नलिखित विकास हुए हैंः

(i) मेसर्स आइसा–इटेलफेर कंसोर्टियम इस आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए जनरल कंसल्टेंट्स के रूप में नियक्त हुई है

(ii) साहिबाबाद से दुहाई तक एलिवेटेड सेतु के निर्माण के ठेके और प्राथमिकता वाले खंड में चार एलिवेटेड स्टेशनों का काम (दो पैकेज में)दिया गया है और गाजियाबाद से दुहाई के बीच के खंड में काम शुरू हो गया है।

(iii) दिल्ली क्षेत्र में एलिवेटेड सेक्शन के लिए विस्तृत डिज़ाइन सलाहकार नियुक्त किये गए हैं।

(iv) ट्रैक संरचना के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार नियुक्त किये गए हैं ।

(v) दुहाई से शताब्दीनगर तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए ठेका दिया गया एवं कार्य पूरा हो गया।

(vi) एशियाई विकास बैंक द्वारा दुहाई से शताब्दीनगर (दो पैकेज) तक सेतु और स्टेशनों के निर्माण के लिए बोली दस्तावेजों की मंजूरी के बाद उसी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

(vii) रोलिंग स्टॉक के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(viii) न्यू अशोक नगर – साहिबाबाद खंड और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन में टीबीएम द्वारा सुरंगों के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदा दस्तावेज एडीबी को उनके सहमति के लिए भेजा गया है।

(ix) एशियाई विकास बैंक (एडीबी), मनीला के महानिदेशक, एनसीआरटीसी कॉर्पोरेट ऑफिस और दो आरआरटीएस स्टेशन स्थलों का दौरा किया और परियोजना के कार्यान्वयन में एनसीआरटीसी की तैयारियों की सराहना की और अन्य आरआरटीएस कोरिडोर्स के वित्तपोषण में रुचि व्यक्त की।

(x) ए डी बी के अध्यक्ष ने भी अगस्त 2019 में एन सी आर टी सी कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया और परियोजना कार्यान्वयन में एन सी आर टी सी के प्रयासों की सराहना की।

(xi) एमओएचयूए ने आर आर टी एस स्टैबिलिंग यार्ड के लिए जंगपुरा में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। उपरोक्त भूमि का भुगतान एमओएचयूए को किया गया।

ब. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर में प्रगति की मुख्य विशेषताएं:

फेज–1 दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर जो दिल्ली से एसएनबी तक है :

- दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर के फेज–1 की दिल्ली (एसकेके) से एसएनबी (शाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड़) तक की डीपीआर हरियाणा सरकार, राजस्थान और दिल्ली सरकार की एनसीटी द्वारा क्रमशः 13.02.2019, 29.06.2019 और 02.08.2019 को अनुमोदित की गई है।
- परियोजना के लिए बहु–पार्श्व/द्वि–पार्श्व वित्तीय सहायता के संबंध में डीईए की स्क्रीनिंग समिति की बैठकें 16.05.2019 और 14.06.2019 को आयोजित की गई हैं। परियोजना प्रस्ताव को 20.08.2019 को (JICA ODA) ऋण के रूप में 20220.8 करोड़ रुपये वाली जे आई सी ए रोलिंग योजना में शामिल किया गया है।
- भू–तकनीकी जांच, युटिलीटी शिफ्टिंग और पाइल लोड परीक्षण की पहचान और नियोजन जैसी पूर्व–निर्माण गतिविधियां जारी हैं।
- दिल्ली–एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर में आईडीपीएल कॉम्प्लेक्स से राजीव चौक तक तीन एलिवेटेड स्टेशनों और एलिवेटेड सेतु के डिजाइन के लिए सिविल, आर्किटेक्चरल और ईएंडएम के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

II- एसएनबी से सोतानाला के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर की तैयारीः

- एनसीआरपीबी की 36 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है, एनसीआरटीसी दिल्ली–अलवर कॉरिडोर के फेज–II यानी एसएनबी–सोतानाला के लिए डी पी आर तैयार करने की प्रक्रिया में है।

- राजस्थान सरकार, रेलवे और एनसीआरपीबी के परामर्श से संरेखण विकल्पों पर विचार किया गया है। NH–48 के साथ पश्चिम की ओर NH–48 के साथ संरेखण को चुना गया है।
- सलाहकार ने व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

C- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर में प्रगति की मुख्य विशेषताएंः

- डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (31), 73 और 74 के तहत पब्लिक से कोई डिपॉजिट आमंत्रित नहीं किया है।

व्यक्तिगत और मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी की रोजगार नीतियां प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए बनाई गयी हैं। 31.03.2019 को कंपनी के कर्मियों की संख्या 110 है(नियमित, प्रतिनियुक्तिवादी, पुनः नियोजित, नियमित वेतन पर अनुबंध, कंसल्टेंट्स सहित)। कंपनी विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रख रही है। एससी/एसटी/पीएच/ओबीसी के लिए सेवाओं के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 197 (12) के तहत के नियोक्ताओं की भागीदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं था, कंपनियों के नियम 5(2) और 5(3) और प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति (पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़ें।

लेखा परीक्षक

पत्र सं. CA.V/COY/केंद्रीय सरकार/NCRTC (O)/321 दिनांक 27.07.2018 मे सीएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स ए सी गुप्ता और एसोसिएट्स को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के खातों पर अपनी रिपोर्ट दी है। लेखा परीक्षकों ने उस पर कोई टिपन्नी नहीं दी है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स अनिल आनंद एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया। 31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक–I** संलग्न है ।

कंपनी के सदस्यों को संबोधित के रूप में प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सदस्यों के विचार और जानकारी के लिए वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री

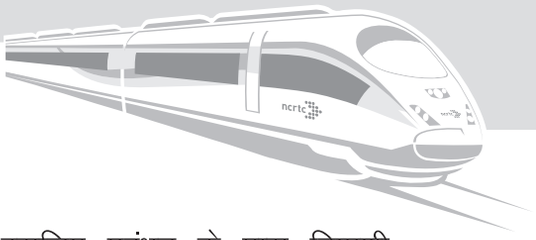

स्व–व्याख्यात्मक है और इसमें कोई योग्यता/अवलोकन नहीं है, इसलिए प्रबंधन के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है।

ऋणों, गारंटियों या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत परिकल्पित किसी भी तीसरे पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–2** के रूप में इसके साथ संलग्न है।

प्रमुख परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता

इस तरह की कोई प्रमुख परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं की गयी हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती हो।

बोर्ड और इसकी समितियों का मूल्यांकन

यह देखा गया है कि, कंपनी पर सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में सीएसआर समिति का गठन पहले ही कर लिया है। अनिर्दिष्ट सीएसआर का संचयी शेष 31,48,167/– रुपये है। कंपनी की निर्माण गतिविधियों को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान शुरू नहीं किया गया था और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से जमा राशि पर ब्याज से) से है। किसी भी सार्थक सीएसआर गतिविधि को करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सीएसआर राशि बहुत कम थी। इसलिए, निदेशक मंडल ने 06.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसआर व्यय की राशि को बाद के वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह उल्लेख करना उचित है कि, कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष यानी 2017–18 के तुरंत पहले सीएसआर योगदान के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है (सीएसआर पर **अनुलग्नक–3** रिपोर्ट देखें)। कंपनी (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) नियमावली, 2014 के तहत निर्धारित रिपोर्ट **अनुलग्नक–3** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी विस्तार

चूंकि निगम को अपना परिचालन शुरू करना बाकी है। कंपनी इस संबंध में निम्नलिखित पहल कर रही है:

- कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों में एलईडी रोशनी का प्रावधान किया गया है

- कॉरपोरेट ऑफिस में सौर पैनलों का प्रावधान किया गया है
- काम करने के घंटे के बाद सभी प्रिंटर, एसी प्लांट और सिस्टम में बिजली की आपूर्ति को काट दिया जाता है

विदेश लेनदेन से होने वाली कमाई तथा बहिर्गमन

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कमाई : शून्य

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बहिर्गमनः

i. कंसल्टेंसी शुल्कः रु. 98,88,499

ii. प्रशिक्षण व्यय : रु. 12,50,527

iii. विदेश यात्रा : रु. 44,50,520

कारपोरेट गवर्नन्स

आपकी कंपनी कारपोरेट गवर्नन्स मानकों का पालन करती है और अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही का पालन करती है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न अंग है। कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।

निदेशकों का उत्तरदायी बयान

आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों पर परिणाम की पुष्टि करता है:

(a) वार्षिक खातों की तैयारी में, उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का भौतिक प्रस्थान के साथ पालन किया गया था;

(b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(c) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(d) निदेशकों ने वार्षिक खातों को सम्बंधित आधार पर तैयार किया था; तथा

(e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से चल रही थी।

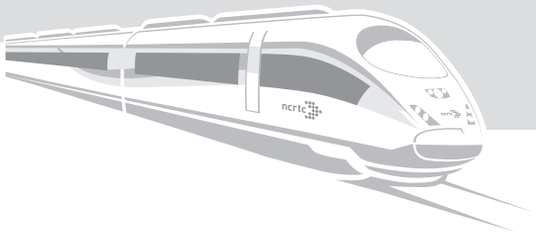

वार्षिक रिटर्न का सारः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 12 (1) के नियम, 2014 के अनुसार आवश्यक होने के कारण, इस वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में एमजीटी 9 संलग्न है **अनुलग्नक–4**।

नियामकों द्वारा पारित विशिष्ट एवं भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो भविष्य में चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रभाव और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत घोषणा

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

धारा 134 (3) (2) के लिए नियम निर्माण

आपका बोर्ड आगे इस बात की पुष्टि करता है कि उसके बोर्ड में 31 मार्च, 2019 तक नीचे दिए गए व्यक्ति शामिल हैं:

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष
श्री के संजय मूर्ति	नॉमिनी निदेशक
श्री राजेश अग्रवाल	नॉमिनी निदेशक
श्री अंशु प्रकाश	नॉमिनी निदेशक
श्री पी गुरु प्रसाद	नॉमिनी निदेशक
श्री राजीव स्वरूप	नॉमिनी निदेशक
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नॉमिनी निदेशक
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक

आपका बोर्ड आगे इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनियों के प्रावधान (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, दिनांक 5 जुलाई, 2017 से आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

वर्ष 2018–19 के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार, कंपनी के बोर्ड और केएमपी में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

(I) श्री राजेश अग्रवाल, ई ड़ी एम टी पी रेलवे मंत्रालय, को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि 2018.05.30 से मान्य है ।

(II) श्री अपूर्व कुमार सिंह, (आईएएस) प्रमुख सचिव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा को हरियाणा सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 09.08.2018 से मान्य है ।

(III) श्री अरुण कुमार गुप्ता, (आईएएस), पूर्व प्रधान सचिव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, को हरियाणा सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 09.08.2018 से मान्य है ।

(IV) श्री के. संजय मूर्ति (आईएएस), ए एस एमओएचयूए को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 06.12.2018 से मान्य है ।

(V) श्री मनोज कुमार (आईएएस), पूर्व ए एस एमओएचयूए के लिए नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 06.12.2018 से मान्य है ।

(VI) श्री बी. के. त्रिपाठी, पूर्व एमएस एनसीआरपीबी ने नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 26.11.2018 से मान्य है ।

(VII) श्रीमती अर्चना अग्रवाल, एमएस एनसीआरपीबी को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 07.05.2019 से मान्य है ।

(VIII) श्री अंशु प्रकाश पूर्व मुख्य सचिव जीएनसीटीडी को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो 29.05.2019से मान्य है ।

(IX) श्री विजय कुमार देव मुख्य सचिव जीएनसीटीसी को कंपनी के नॉमिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 29.05.2019 से मान्य है ।

(X) श्री राजेश अग्रवाल, पूर्व ईडी एमटीपी, रेल मंत्रालय, को कंपनी के नॉमिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 06.06.2019 से मान्य है ।

(XI) श्री पीयूष अग्रवाल, अतिरिक्त सदस्य, योजनानियोजन, रेलवे बोर्ड को रेलवे के नामित निदेशक मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया था जो 06.06.2019 से मान्य है ।

(XII) श्री पी. गुरु प्रसाद, यूपी के पूर्व परिवहन आयुक्त,को को कंपनी के नॉमिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 15.04.2019 से मान्य है ।

(XIII) श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास को यूपी सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 15.04.2019 से मान्य है ।

(XIV) श्री अनिल कुमार श्रृंगारी, को निदेशक/परियोजनाएं के रूप में नियुक्त किया गया।जो 15.07.2019 से मान्य है ।

(XV) श्री नितिन रमेश गोकर्ण, पूर्व प्रमुख सचिव, आवास, यूपी सरकार को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 27.06.2019 से मान्य है ।

(XVI) श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, उप्र सरकार, को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो 27.06.2019 से मान्य है ।

(XIII) श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास को उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। जो 15.04.2019 से मान्य है ।

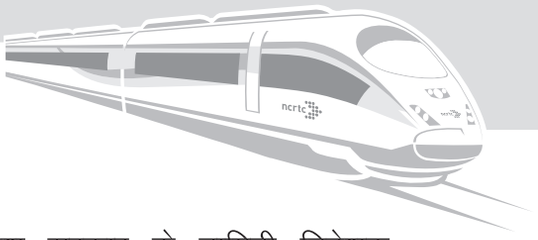

(XVI) श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, आवास को उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। जो 27.06.2019 से मान्य है ।

(XVIIA) श्री महेंद्र कुमार, निदेशक इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक को नियुक्त किया गया था। जो 15.07.2019 से मान्य है।

(XVIIIA) श्री नवनीत कौशिक, निदेशक/सिस्टम को नियुक्त किया गया था। जो 15.07.2019 से मान्य है ।

बोर्ड बैठक

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान, आपके बोर्ड ने लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों के अधिकतम अंतराल के साथ चार बार मुलाकात की, जैसा कि सचिवीय मानक 1 के निदेशक मंडल के खंड 2.1 के तहत निर्धारित है। कैलेंडर वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर निदेशक मंडल की बैठक हुई:

1. 16.01.2018
2. 10.05.2018
3. 09.08.2018
4. 06.12.2018

बोर्ड की समितियां

कंपनी के पास कई समितियां हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के एक भाग के रूप में स्थापित की गई हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन करती हैं।

वर्ष के दौरान इन समितियों की संरचना नीचे दी गई है:

लेखा परीक्षा समिति

अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी *	अध्यक्ष
2	श्री राजेश अग्रवाल #	सदस्य
3	श्री पी गुरु प्रसाद **	सदस्य
4	श्री के संजय मूर्ति ***	अध्यक्ष

* सदस्य को नियुक्त किया गया जो 26.11.2018 से मान्य है

\# समिति के सदस्य बने जो 30.05.2018 से मान्य है

** सदस्य को नियुक्त किया गया जो 06.12.2018 से मान्य है

*** समिति के सदस्य बने जो 06.12.2018 से मान्य है

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 27.07.2018 और 13.03.2019 को लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी *	अध्यक्ष
2	श्री राजेश अग्रवाल #	सदस्य
3	श्री पी गुरु प्रसाद	सदस्य
4	श्री के संजय मूर्ति **	अध्यक्ष

* सदस्य को नियुक्त किया गया जो 26.11.2018 से मान्य है
\# सदस्य बने जो 30.05.2018 से मान्य है
** समिति के सदस्य बने जो 06.12.2018 से मान्य है

निवेश समिति

अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी *	सदस्य
2	श्री मनोज कुमार **	सदस्य
3	श्री के संजय मूर्ति ***	सदस्य
4	श्री विनय कुमार सिंह	सदस्य

* सदस्य को नियुक्त किया गया जो 26.11.2018 से मान्य है
** 10.10.2018 से सदस्य को नियुक्त किया गया
*** समिति के सदस्य बने जो 10.10.2018 से मान्य है

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निवेश समिति की बैठक 06.04.2018, 19.04.2018, 16.08.2018, 06.11.2018, 02.01.2019 और 15.03.2019 को आयोजित की गई थी।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक ऑडिट प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का अनुभव होता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और लेखापरीक्षा समिति के विचार के लिए अनुपालन के साथ ऑडिट रिपोर्ट के सारांश को रखा जाता है। यह आंतरिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

सहायक

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

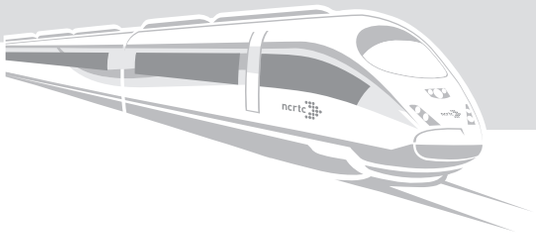

लेखा मानकों का अनुपालन

कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए थे और वे ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा था।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार दिल्ली सरकार के एन.सी.टी. हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा दी गई सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन की प्रशंसा को रिकॉर्ड में दर्शाता है।

निदेशक मंडल कंपनी के बैंकरों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किये गए कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए रिकॉर्ड प्रशंसा पर कामना करता है। कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बोर्ड आने वाले वर्षों में उत्साह और समर्पण के साथ उनकी सेवाओं के लिए तत्पर है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

अनिल कुमार सिंगारिया
निदेशक
डीआईएनः 08507367

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

अनुबंध–1

सेवा,

सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
7/6 एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीटूशनल क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049

इस पत्र के साथ हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, उचित प्रणाली को लागू करे ताकि सभी कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम पर्याप्त हो और प्रभावी ढंग से संचालित हो।

सचिवीय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा सचिवीय अनुपालन के लिए तैयार सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और प्रक्रियाओं पर अपना विचार व्यक्त करना है।

3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑडिट साक्ष्य और जानकारी इसपर हमारे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. जहां भी आवश्यकता हुई है हमने वहाँ प्रबंधन से कानूनों, नियमों, विनियमन और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

प्रत्याख्यान

5. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन के कंपनी संचालन के प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कंपनी सचिव
अनिल आनंद
CP NO: 11295
ACS: 10328

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.09.2019

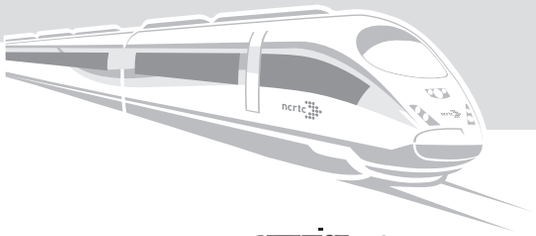

अनुबंध–1

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा मे

प्रिय सदस्यों,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
7/6 एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली, 110049

हमने मैसर्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) (जिस नाम से कम्पनी जानी जाती है)। के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखा परीक्षा आयोजित की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जो हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

कंपनी की किताबों, कागज़ात, कार्य विवरण पुस्तक फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड साचिविक लेखा परीक्षा के आयोजन के दौरान, कंपनी इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास सही बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है:

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागज़ात, कार्य विवरण पुस्तको, फॉर्म और रिटर्न दायर किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(2) भारत के कंपनी सचिवों के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी साचिविक मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन किया है:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड बैठकों के समय निर्धारण का सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्य सूची और कार्य सूची के विस्तृत नोट्स को कम से कम 7 दिन पहले भेजा जाता है। बैठक से पहले, बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए अधिक जानकरी और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बैठक के मिनटस् के अनुसार अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित, बोर्ड के फैसलों को सर्वसम्मति से पारित किया गया और कोई असंतोषजनक विचार दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी

और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

सी.एस अनील आनंद
ए.सी.एस. : 10328
सी.पी. नं0: 11295

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.09.2018

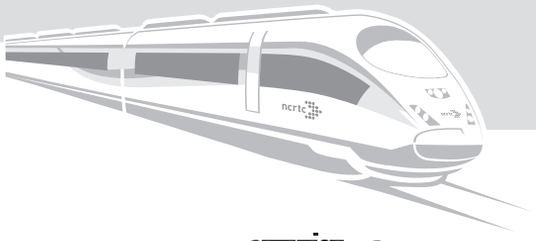

अनुबंध–2

फॉर्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम के नियम 134 और धारा 8 (2) के उप–धारा (3) के खंड (ज) के अनुसार (कंपनियां) नियम, 2014)

कंपनी द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तीसरे नियम के तहत कुछ निष्पक्ष लेनदेन शामिल हैं।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी लेनदेन यू/एस 188 (1) में प्रवेश नहीं किया है

1. अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण निष्पक्षता के आधार पर नहीं : शून्य

(a) संबंधित पार्टी का नाम (नामो) और संबंधों की प्रकृतिः मान्य नहीं

(b) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृतिः मान्य नहीं

(c) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधिः : मान्य नहीं

(d) यदि संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की कोई मुख्य शर्तें हो, तो : मान्य नहीं

(e) ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य. मान्य नहीं

(f) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां): मान्य नहीं (वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था)

(g) यदि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई कोई राशि हो तोः मान्य नहीं

(h) वह तिथि जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था : मान्य नहीं (वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था)

2. निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरणः मान्य नहीं

(a) संबंधित पार्टी का नाम (नामो) और संबंधों की प्रकृति

(b) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति

(c) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधिः

(d) यदि संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की कोई मुख्य शर्तें हो, तो

(e) यदि बोर्ड द्वारा अनुमोदन की कोई तिथि (तिथियां) हो, तोः

(f) यदि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई कोई राशि हो तोः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

अनिल कुमार सिंगारिया
निदेशक
डीआईएनः 08507367

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

अनुबंध 3

बोर्ड रिपोर्ट में शामिल होने के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (31.03.2019 तक)

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने वाले परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।</td><td>कंपनी को अभी अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना है और इसकी कुल आय अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज) से ही है। इसलिए, कंपनी ने अब तक सीएसआर नीति को नहीं अपनाया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सीएसआर समिति की संरचना (31.03.2019 तक)</td><td>
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>सदस्य का नाम</th><th>पद</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री बिजय कुमार त्रिपाठी *</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री राजेश अग्रवाल #</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री पी गुरु प्रसाद **</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री के संजय मूर्ति ***</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
</table>
* सदस्य नियुक्त हुए जो 27.11.2018से मान्य हैं।
# समिति के सदस्य बने जो 30.05.2018 से मान्य हैं।
** सदस्य नियुक्त हुए जो 06.12.2018से मान्य हैं।
*** समिति के सदस्य बने 06.12.2018से मान्य हैं।
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ</td><td>5,60 लाख / – रु.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>निर्धारित सीएसआर व्यय (दो प्रतिशत। उपरोक्त आइटम 3 में राशि का)</td><td>11.20 लाख / – रु.</td></tr>
</table>

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरणः

   (a) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि; 11.20 लाख / – रु।

   (b) यदि बिना खर्च की गयी कोई राशि हो तो; 11.20 लाख / – रु.

   (c) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

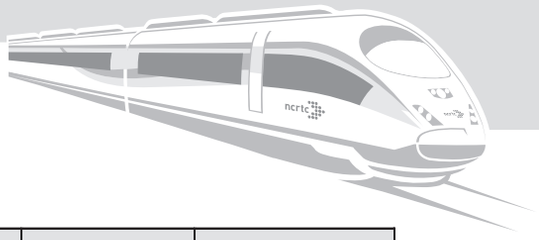

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	जिस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाऐं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2)राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रम उप प्रमुख पर खर्च की गई राशि : (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) अतिरिक्त खर्चः	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6. यदि कंपनी दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के लिए, कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण प्रदान करेगी।

- बिना खर्च किया सीएसआर का संचयी शेष रु 31,48,167/– है। कंपनी की निर्माण गतिविधियों को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान शुरू नहीं किया गया था और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से जमा राशि पर ब्याज से) से है। सीएसआर राशि किसी भी सीएसआर गतिविधि को करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के अनुसार बहुत कम थी। इसलिए, निदेशक मंडल ने 06.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसआर व्यय की राशि को बाद के वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था।
- यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि, कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सीएसआर योगदान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के तुरंत पहले के दौराननिर्दिष्ट निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को भी पूरा नहीं करता है :
    - पांच सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक का शुद्ध मूल्य, या
    - एक हजार करोड़ या उससे अधिक रुपये का कारोबार, या
    - पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक का शुद्ध लाभ

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्वपूर्ण कथन, सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

- वर्तमान में कंपनी ने अपने वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किए हैं और इसकी कुल आय अन्य स्रोतों (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) से ही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान राशि किसी भी सीएसआर गतिविधि के लिए बहुत छोटी है। इसलिए, निदेशक मंडल ने 06.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में, सीएसआर खर्च की राशि बाद के वर्षों में 31.48 लाख रुपये है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

अनिल कुमार सिंगारिया
निदेशक
डीआईएनः 08507367

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

अनुबंध– 4

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न्स का सारांश
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2019 के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U60200DL2013GOI256716
2.	पंजीकरण की तारीख	21/08/2013
3.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
4.	श्रेणी/कंपनी की उप–श्रेणी	सीमित द्वारा कंपनी साझा/संघीय सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	7/6, सिरी किला, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली –110049
6.	चाहे सूचीबद्ध कंपनी हो	नहीं
7.	यदि कोई हो, रजिस्ट्रार और ट्रांसफरएजेंट है तो उसका नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं है

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

(सभी व्यावसायिक गतिविधियों का 10% का या कंपनी के कुल कारोबार के अधिक के योगदान को कहा जाएगा)

S. No.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	लागू नहीं है (कंपनी ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है)		

III स्वामित्व और सहायक कंपनी के विवरण

लागू नहीं है (इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है)

IV शेयर धारक पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल विवरण)

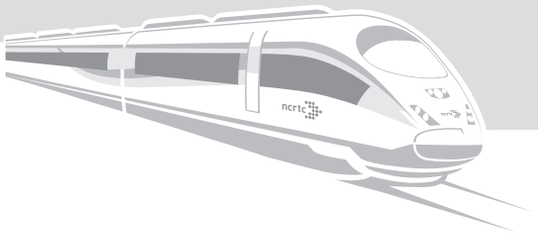

A- श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारक शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयरों की संख्या (31 मार्च–2019 तक)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	
A. प्रमोटरों									
(1) भारतीय									
a) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) केंद्रीय सरकार	-	50	50	50	-	50	50	50	-
c) राज्य सरकार (रें)	-	50	50	50	-	50	50	50	-
d) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) बैंक / वित्तीय संस्थाऐं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) कोई अन्य	-	-	-	-		-	-	-	-
उप कुल(A)(1)	-	100	100	100	-	100	100	100	-
(2) विदेशी									
a) एनआरआई – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) अन्य–व्यक्तियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) बैंक / वित्तीय संस्थाऐं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल(A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग (A)=(A)(1)+(A)(2)	-	100	100	100	-	100	100	100	-
B. सार्वजनिक हिस्सेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारक शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयरों की संख्या (31 मार्च–2019 तक)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	
1. संस्थाएं									
a) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) बैंक / वित्तीय संस्थाऐं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) राज्य सरकार (रें)	-	-	--	-	-	-	-	-	-
e) वेंचर की									
e) पूंजीगत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) बीमा कंपनियाँ									
Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) विदेशी वेंचर की									
पूंजीगत निधि	--	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान									
a) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-

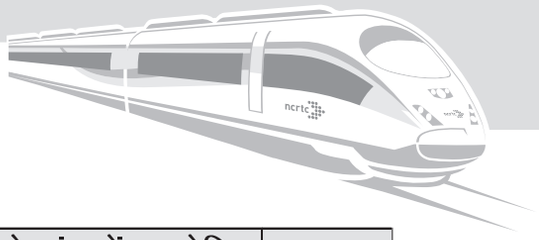

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारक शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयरों की संख्या (31 मार्च–2019 तक)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	डीमैट	फीजिकल (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयरों का%	
i) रु. 1 लाख तक की नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों क पास 1 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनिवासीय भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगम निकाय									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय - D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (B)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा आयोजित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सर्व योग (A+B+C)	-	100	100	100	-	100	100	100	-

B) प्रमोटर की हिस्सेदारी–

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में धारक शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)			वर्ष की शुरुआत में धारक शेयरों की संख्या (31 मार्च 2019 को)			वर्ष के दौरान% परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की संख्या के गिरवी /संलग्न शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की संख्या के गिरवी /संलग्न शेयरों का%	
1	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	2,250,000	22.50	0.00	2,250,000	22.50	0.00	0.00
2	रेल मंत्रालय	2,250,000	22.50	0.00	2,250,000	22.50	0.00	0.00
3	एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	500,000	5	0.00	500,000	5	0.00	0.00
4	एनसीटी दिल्ली सरकार	1,250,000	12.50	0.00	1,250,000	12.50	0.00	0.00
5	हरियाणा सरकार	1,250,000	12.50	0.00	1,250,000	12.50	0.00	0.00
6	राजस्थान सरकार	1,250,000	12.50	0.00	1,250,000	12.50	0.00	0.00
7	उत्तर प्रदेश सरकार	1,250,000	12.50	0.00	1,250,000	12.50	0.00	0.00

C) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (यदि कोई बदलाव न हो तो कृपया निर्दिष्ट करें)

वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी (01/04/2018 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का#	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का#
1	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी	10,000,000	100	10,000,000	100
	वर्ष के दौरान बदलें	-	-	-	-
	साल के अंत में	10,000,000	100	10,000,000	100

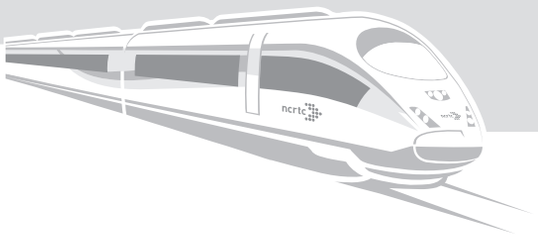

D) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्नः

(जीडीआर और एडीआर के निदेशक, प्रमोटर और होल्डर्स के अलावा):

कुछ नहीं (वर्तमान में कंपनी की 100% शेयरधारिता भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास है)

E) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारीः

कुछ नहीं (वर्तमान में कंपनी की 100% शेयरधारिता भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास हैं)

V) ऋणग्रस्तता –

ब्याज बकाया/उपार्जित राशि जो भुगतान के कारण नहीं मिली है इसके सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

	जमा का छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण–ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित है लेकिन देय नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* जोड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित है लेकिन देय नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI निर्देशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक –

A प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः

क्रसं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक
1	सकल वेतनः	45,48,619
	(a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	38,99,226
	(b) अनुलाभ का मूल्य u/s 17(2) आयकर अधिनियम, 1961	6,49,393
	(c) वेतन के एवज में लाभ आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (3) के तहत	-
2	स्टॉक का विकल्प	-
3	उद्यम इक्विटी	-
4	आयोग	-
	– लाभ के% के रूप में...	
	– अन्य (निर्दिष्ट करें:	
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:	
	– अन्य दीर्घकालिक लाभ	3,50,621
	– रोजगार के बाद का लाभ	3,51,651
	कुल (A)	52,50,891

B. अन्य निदेशकों को मिलने वाला पारिश्रमिकः

(प्रबंध निदेशक के अलावा अन्य निदेशक नामित निदेशक हैं और कंपनी द्वारा नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है)

क्रसं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

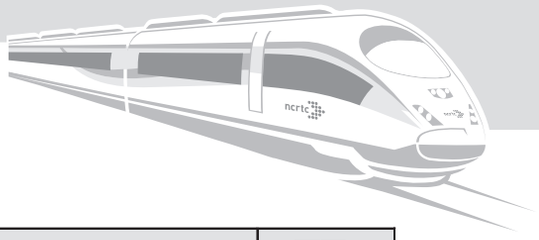

क्रसं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (B)=(1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीलिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

C. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/कार्य समय में निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

SN	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी		
		साकेत कुमार सिंह, सीएस	वाई पी सक्सेना, सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन			
	(a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	10,26,582	33,31,182	43,57,764
	(b) अनुलाभ का मूल्य यू/एस17(2) आयकर अधिनियम, 1961	7,148	27,071	34,219
	(c) वेतन के एवज में लाभ आयकर अधिनियम,1961 धारा 17(3) के तहत	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4	आयोग	-	-	-
	– लाभ के के रूप में	-	-	-
	अन्य निर्दिष्ट करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:			
	– अन्य दीर्घकालिक लाभ	45,372	1,40,100	1,85,472
	– रोजगार के बाद का लाभ	79,104	2,56,580	3,35,684
		11,58,206	**37,54,933**	**49,13,139**

VII अर्थ दंड/दंड/ मिश्रित शुल्क का विवरण अधिकारः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/ सजा/ मिश्रित शुल्क का विवरण	अधिकार अधिकरण आरडी/ एनसीएलटी /कोर्ट	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
अ. कंपनी					
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब. निदेशक					
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स. अन्य अधिकारियों की चूक					
अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मिश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए.

अनिल कुमार सिंगारिया
निदेशक
डीआईएनः **08507367**

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **06497700**

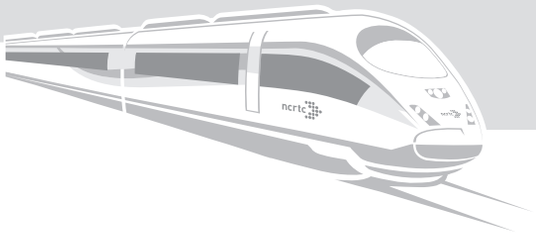

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
प्रिय सदस्यगण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के स्टैंडिअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त' वर्ष के लिए तुलन पत्र, उस तिथि समाप्तत वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी के परिवर्तन का विवरण, और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्यग व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पोणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तपम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्ट्रैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित (''इंड एएस'') के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2019 को समाप्तस वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के इसके लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकद प्रवाह से संबंधित सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने यह लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वम को हमारी रिपोर्ट के वित्तीाय विवरण खंड की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम इस अधिनियम के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थोन द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वरतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थांन की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्तय लेखा–परीक्षा साक्ष्यि वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त् और उपयुक्ति हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेमदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित विषय–वस्तुलओं के लिए उत्तरदायी है जो भारतीय लेखांकन नीति और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की परिसंपत्तियों

की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग वे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण होंय पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित व उनका अनुरक्षण करना जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, वे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से प्रासंगिक हैं जो एक वास्तविक व उचित स्थिति को दर्शातें हैं तथा तथ्याात्मक मिथ्या बयानी से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की चालू समुत्थोन के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थाकन से संबंधित मामलों, का यथा प्रयोज्य प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थोन आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्यन वास्तविक विकल्प् नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वा्सन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण, समग्र रूप से तथ्यात्मिक मिथ्या बयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्तर है, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। युक्तिसंगत आश्वाडसन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे तथ्योत्मिक माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप मे, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीव विवरणों की तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्यय प्राप्तय करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि प्रदत्तल परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्ता लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी राय व्यक्त् करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से परिचालन में हैं।

- प्रयुक्तग लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलाशों की

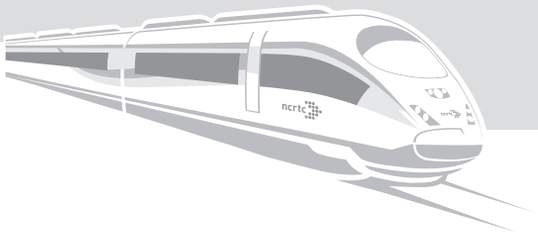

तर्कशीलता लेखांकन प्राक्कलनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तयता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता है जो कंपनी की चालू समुत्थान के रूप जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्ते लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु, जिनमें प्रकटन भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित उपस्थापन हासिल होता है।

हम अन्य विषय–वस्तुरओं में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और इसका समय और महत्वअपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रणों में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते है।

हम उनको, जिनके पास विनियमन/नियंत्रण/शासन का प्रभार है, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने निरपेक्षता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी सम्बन्धों और अन्य मामलों के बारे में भी संसूचित करते हैं जिनके संबंध में हमारी निरपेक्षता को प्रभावित कर सकने की क्षमता के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथा अपेक्षित, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले के संदर्भ में एक विवरण अनुलग्नक क के रूप में संलग्न कर रहें हैं।

2. इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   हमारे द्वारा उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया गया है जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

(क) हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि के अनुरूप उचित लेखे रखे गए हैं जहॉ तक यह उन बहियों की हमारी जॉच से प्रतीत होता है।

(ख) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे, जिसमें अन्य व्यांपक आय शामिल हैं, इक्विटी परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीवय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के

साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट् लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान प्रयोज्यल नहीं हैं, क्योंकि यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

(ङ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तरता और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावित के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नंक ख"** में देखें।

(च) कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय–वस्तुओं में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तमम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्परष्टीकरण के अनुसार :

- कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है जिसे इसके भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में प्रकटन करना आवश्यकक है।
- कंपनी के पास व्युरत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है जिसके लिए कोई तात्त्विक पूर्वाभासी हानियां हो सकती थीं।
- कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करना आवश्योक था।

3. मामलों पर जोर

(i) हम 2168.81 लाख रुपये के जीएसटी जमा का निर्माणधिन पूंजीगत कार्य में पूंजीकरण के संबंध में वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 4.1 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, क्यों कि कंपनी द्वारा अभी भी कोई प्रचालन शुरू करना शेष है और उनके द्वारा प्राप्ते संपूर्ण जीएसटी जमा विकासाधीन परियोजना के संदर्भ में उनके द्वारा किया गया भुगतान है।

2168.81 लाख रुपये के कुल जमा में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार 2168.81 लाख रुपये का अनुचित जमा शामिल है, जो विकासाधीन परियोजना के लिए है।

कंपनी ने अभी भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश के अनुसार, अधीनस्थ ऋण के रूप में जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए सम्बदन्धित सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

उक्ति विषय–वस्तुत के संबंध में हमारी राय परिमित नहीं है।

(ii) हम लेखा परीक्षा अधीन वर्ष के दौरान तीन राज्य सरकारों से प्राप्त निधियन के उपयोग के संबंध में कंपनी के वित्तीधय विवरण की टिप्पाणी सं. 15 की ओर ध्यान आकृष्टन करते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से क्रमशः 26,000 लाख रुपये और 26,500 लाख रुपये की राशि प्राप्ति हुई है। कंपनी ने निधि की प्रकृति (अनुदान/अधीनस्थ् ऋण) के संबंध में स्पष्टीकरण मॉगा है।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने दो अन्य कॉरिडोरों, नामतः, दिल्ली–एसएनबी

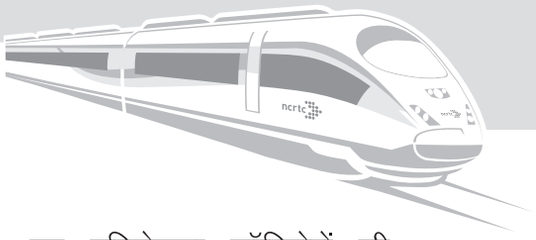

कॉरिडोर और दिल्ली–पानीपत कॉरिडोर के लिए, इन परियोजना कॉरिडोरों की स्वीकृति लंबित रहते हुए 1,000 लाख रुपये की राशि जारी की है।

इन्हें परियोजना के स्पष्टीकरण/अनुमोदन के अभाव में 'अन्य' गैर वर्तमान देयता' के रूप में दिखाया गया है।

स्पतष्टीकरण के आधार पर, वर्गीकरण आशोधित किया जाएगा। उक्ता मामले के संबंध में हमारी राय परिमित नहीं है।

4. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखों की संपूर्णता/शुद्धता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं और लेखों की शुद्धता/संपूर्णता पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
(ii)	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज माफी/छूट का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं।	वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और इसलिए, कर्ज या ऋण या ब्याज आदि की पुनर्संरचना, माफी, छूट या बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य निधि को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, इस तरह के सभी लेन–देन का उचित लेखांकन किया गया है और उनकी नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है ।

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079N
ह./–

ए. सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 008565
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और जैसा उपयुक्तप विचार किया गया और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीककरण के अनुसार, हम कथन करते हैं किः–

(i) इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :–

(क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है, जिसमें मत्रात्मतक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति शामिल है।

(ख) कंपनी में इसकी अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यांपन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा चरणबद्ध तरीके से अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है, इस कार्यक्रम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के अंत में सत्यापित किया गया था। हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई तात्त्विक विसंगति नहीं पायी गयी है।

(ग) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चूँकि कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए, कंपनी के नाम पर धारित अचल संपत्तियों के हक विलेख के संबंध में कोई संसूचना की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वर्ष के अंत में कोई माल सूची नहीं है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत संधारित बही में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझीदारी या अन्य पक्षकारों को कंपनी ने कोई ऋण, चाहे वह प्रत्याभूत या अप्रत्यातभूत हो, संस्वीककृत नहीं किया है। परिणामस्व रूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) की अपेक्षाएं प्रयोज्यक नहीं हैं।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 मे उल्लिखित कंपनी का कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं है। तदनुसार, इस आदेश का अनुच्छेद 3(iv) प्रयोज्य नहीं है।

(v) कंपनी ने आमलोगों से कोई जमा स्वींकृत नहीं किया है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत कंपनी द्वारा निष्पोदित कार्यकलापों के लिए लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित नहीं किया है।

(vii) सांविधिक देयों के संबंध मे :–

(क) सांविधिक देयों के संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, सूचना और

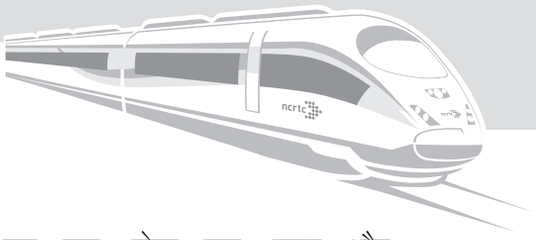

स्परष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर और इस पर लागू अन्यं महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को समुचित प्राधिकरणों में जमा करने में आमतौर पर नियमित है और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी देय अविवादित राशियां उनके देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि से बकाया नहीं है।

(ख) हमारे द्वारा मांगी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर रुपये 6,14,710 की राशि का विवादित आयकर देय है, कंपनी ने मांग स्थगन के लिए रुपये 1,22,950 की राशि जमा की है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, वस्तुर और सेवा कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों की कोई राशि ऐसी नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गयी हो। अदत्त विवादित आय कर का ब्यौरा निम्नवत हैः–

(viii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों का कोई बकाया नहीं है और इसलिए यह खंड प्रयोज्य नहीं है। बंधपत्र धारकों, सरकार और

निर्धारण वर्ष	राशि रुपये	फोरम जहॉ विवाद लंबित है
2015–16	6,14,710	सीआईटी अपील, दिल्ली

वित्तीय संस्थानओं को प्रति देय कोई बकाया नहीं था।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) और सावधि ऋण के द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, इस आदेश का अनुच्छेंद 3 (ix) प्रयोज्य नहीं है।

(x) हमें दी गयी जानकारी और स्पकष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई तात्त्विक धोखाधड़ी की घटना नहीं देखी गयी है या संसूचित नहीं की गयी है।

(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध प्रयोज्य नहीं हैं, क्योंकि यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, इस आदेश का अनुच्छेद 3(xii) प्रयोज्य नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की जॉच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन इस अधिनियम की धारा 177 और 188, जहॉ प्रयोज्य है, के अनुपालन में है और प्रयोज्य लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, इन ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया गया है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जॉच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋण–पत्रों का अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जॉच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का अनुच्छेंद 3(xv) प्रयोज्य नहीं है।

(xvi) यह कंपनी एक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I ए के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079N
ए. सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. : 008565
नई दिल्ली, 15, जुलाई, 2019

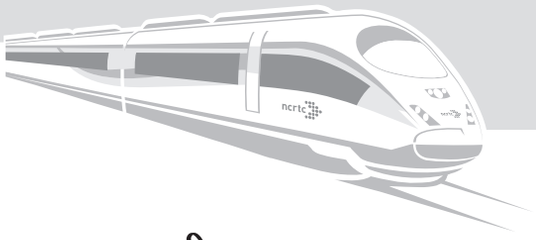

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–ध।२। 3 के खंड (i) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्यों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित समतिथि लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण का संयोजन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के प्रबंधन का दायित्व भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने से संबंधित मार्ग दर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडो पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करना है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने को शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कार्य कर रहे थे इनमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभाविता के बारे में राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित मान्यताओं के अनुसार आयोजित किया है, ये दोनों ही किसी भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं तथा दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्प णी के लिए आवश्यक होता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और इसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और किया जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा है।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियां और उनकी प्रचालन संबंधी कुशलता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है, और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के

वास्तविक मिथ्यो बयान के जोखिम का आकलन शामिल होता है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणो को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त, सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है, तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा हैय तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वतपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती हैं, त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण अत्याधिक मिथ्या बयानी होती हैं। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में हानि हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निहित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2019 तक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।?

कृते ए. सी. गुप्तार एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079N
ए. सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्याता सं. : 008565
नई दिल्ली, 15, जुलाई, 2019

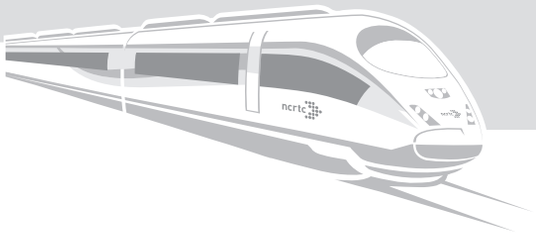

अनुलग्नलक–II

अनुपालना प्रमाण–पत्र

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्ति वर्ष के लेखों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों / उप–निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें दिए गए सभी निर्देशों / उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 008079N
ह./–

ए. सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं.: 008565
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2019 को समाप्त् वर्ष के लिए तुलन पत्र

(लाख रुपये में)

विवरण			टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त. वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त. वर्ष के लिए
I.	**परिसंपत्तियां**				
1	**गैर मौजूदा परिसंपत्तियां**				
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	772.06	883.69
	(ख)	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	4	12,689.07	2,103.50
	(ग)	अन्यग अमूर्त परिसंपत्तियां	5	4.70	2.80
	(घ)	वित्तीनय परिसंपत्तियां	6		
		(i) ऋण/प्रतिभूति जमा	6.1	55.22	15.34
	(ङ)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	7	6.52	2.69
	(च)	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8	12,489.22	1,520.17
				26,016.79	**4,528.19**
2	**मौजूदा परिसंपत्तियां**				
	(क)	वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
		(i) नकद और नकद समतुल्यि	9.1	38,731.82	871.87
		(ii) ऊपर (i) के अलावा बैंक जमा	9.2	11,900.00	6,356.56
		(iii) ऋण/प्रतिभूति जमा	9.3	2.24	1.98
		(iv) अन्य	9.4	151.75	287.23
	(ख)	मौजूदा कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	60.19	25.05
	(ग)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	11	46.80	34.44
				50,892.80	**7,577.13**
	कुल परिसंपत्तियां			**76,909.59**	**12,105.32**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079एन

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

(अनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन : 08507367

ए. सी. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 008565

(वाय. पी. सक्सेना)
मुख्यावित्त अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
स.सं. ए 21652

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

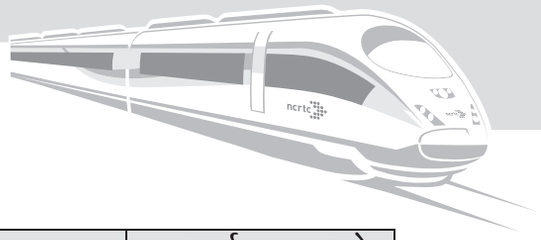

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
II. इक्विटी और देनदारियां			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	10,000.00	10,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	11,714.56	1,464.94
		21,714.56	**11,464.94**
2 देयताएं			
(i) गैर मौजूदा देयताएं			
(क) प्रावधान	14	108.03	18.73
(ख) अन्य गैर मौजूदा देयताएं	15	53,500.00	—
		53,608.03	**18.73**
(ii) मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां	16		
(i) अन्य	16.1	1,365.09	479.92
(ख) अन्य चालू देनदारियां	17	200.01	111.57
(ग) अल्पावधिक प्रावधान	18	21.90	30.16
		1,587.00	**621.65**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**76,909.59**	**12,105.32**

महत्व पूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1 — 2

वित्तीय विवरणों मे शामिल टिप्पणियां 3 — 38

हमारी संलग्नत समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079एन

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

(अनील कुमार सिंगारिया)
निदेशक
डीआईएन : 08507367

ए. सी. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 008565

(वाय. पी. सक्सेना)
मुख्यावित्त अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
स.सं. ए 21652

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2019 को समाप्त् वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व		–	–
II.	अन्य आय	19	767.29	634.00
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		**767.29**	**634.00**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	20	129.62	43.33
	मूल्य–ह्रास और परिशोधन व्यय	21	2.73	19.36
	अन्य व्यय	22	250.90	206.10
IV	कुल व्यय (IV)		383.25	**268.79**
V	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**384.04**	**365.21**
VI	असाधारण मदें			.
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**384.04**	**365.21**
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर	23	108.33	99.49
	(2) पूर्व वर्ष कर		(0.67)	(4.78)
	(3) आस्थ गित कर	23	(2.65)	0.73
IX	**चालू प्रचालनों से इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**279.03**	**269.77**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)		–	–
XIII	**इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**279.03**	**269.77**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(4.24)	
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें		1·18	-
	लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			

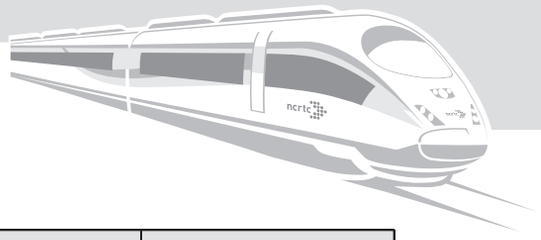

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	-
XV	इस अवधि में कुल व्याापक आय (XIII + XIV) (जिसमें इस अवधि का लाभ (हानि) और अन्यक व्याप्पक आय शामिल है।		275.96	269.77
XVI	प्रति शेयर अर्जन			
	(चालू और बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)	24	2.79	2.70
	(2) तनुकृत (रुपये में)	24	2.79	2.70
XVII	प्रति शेयर अर्जन			
	(बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)		–	.
	(2) तनुकृत (रुपये में)		–	.
XVIII	(चालू और बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)	24	2.79	2.70
	(2) तनुकृत (रुपये में)	24	2.79	2.70

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1 – 2
वित्तीय विवरणों मे शामिल टिप्पणियां 3 – 38

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079N

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

(अनील कुमार सिंगारिया)
निदेशक
डीआईएन : 08507367

ए. सी. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 008565

(वाय. पी. सक्सेना)
मुख्यावित्त अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
स.सं. ए 21652

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ		**384.04**	**365.21**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–			
मूल्यतह्रास		2.73	19.36
ब्याज आय		(751.94)	(632.58)
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**(365.17)**	**(248.01)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–			
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में (कमी)/वृद्धि		(12.36)	(33.00)
अन्य मौजूदा वित्तीतय परिसंपत्तियों में (कमी)/वृद्धि		139.49	253.93
गैर मौजूदा वित्ती य परिसंपत्ति ऋणों में (कमी)/वृद्धि		(42.70)	0.09
मौजूदा वित्तीजय परिसंपत्ति ऋणों में (कमी)/वृद्धि		(0.26)	(1.98)
अन्य वित्तीपय देनदारियों में (कमी)/वृद्धि		885.17	393.61
अन्य मौजूदा देनदारियों में (कमी)/वृद्धि		88.44	74.74
दीर्घकालिक प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		85.06	16.16
अल्पाकवधिक प्रावधानों में में (कमी) ६ वृद्धि		(8.26)	0Q
मौजूदा कर परिसंपत्तियों में (कमी) ६ वृद्धि		4.78	–
	(2)	**1,139.36**	**733.55**
प्रचालन से उत्पतन्नम नकद	(1̣2)	**774·19**	**485·54**
आय कर का भुगतान किया गया		(147.58)	(150.19)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पमन्न कुल नकद		**626.61**	**335.35**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अन्यह अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(10,504.91)	(2,473.08)
प्राप्त0 करने योग्य ब्यापज		747.93	740.36
पूंजीगत अग्रिम		(10,966.23)	(1,517.69)
अन्य बैंक जमा शेषों में परिवर्तन		(5,543.44)	3,166.86
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्तम शुद्ध नकद		**(26,266.65)**	**(83.55)**

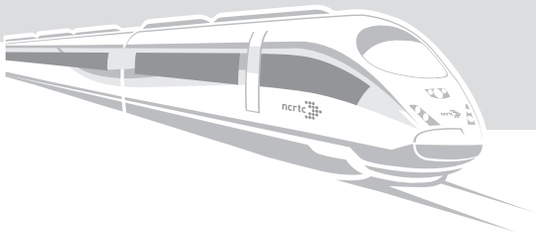

विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद		**(26,266.65)**	**(83.55)**
ग. वित्तधपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह			
अनुदान से आगम		10,000.00	–
उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सरकार से आगम		53,500.00	–
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद		**63,500.00**	–
नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		37,859.95	251.80
प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		871.87	620.07
अंतिम नकद और नकद समतुल्यु		**38,731.82**	**871.87**
नकद और नकद समतुल्य जिसमें निम्लिखित शामिल हैं			
बैंकों में जमा शेष :			
– चालू खाते में		15,475.29	871.27
– अग्रदाय खाते में		1.56	0.60
3 माह या कम परिपक्वंता अवधि वाले सावधि जमा		23,254.97	–
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्यत		**38,731.82**	**871.87**

नकद प्रवाह विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण संबंधी भारतीय लेखांकन मानक–7 में यथा निर्धारित अप्रत्यंक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079एन

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

(अनील कुमार)
निदेशक
डीआईएन : 08507367

ए. सी. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 008565

(वाय. पी. सक्सेना)
मुख्यावित्त अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
स.सं. ए 21652

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	शेयरों की सं. लाख में	राशि
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार शेष	100.0	10,000.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी निर्गम	–	–
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शेष	100.0	10,000.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी निर्गम	–	–
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शेष	100.0	10,000.0

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
1 अप्रैल 2017 को शेष	–	–	1,195.17	1,195.17
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	–	–	–	–
1 अप्रैल 2017 को पुनर्कथित शेष	–	–	1,195.17	1,195.17
वर्ष का लाभ	–	–	269.77	269.77
वर्ष की अन्यन व्यापक आय (आय कर का निवल)				
वर्ष की कुल व्यापक आय	–	–	269.77	269.77
लाभांश का भुगतान किया गया	–	–	–	–
31 मार्च 2018 को शेष	–	–	1,464.94	1,464.94
वर्ष का लाभ	–	–	279.03	279.03
वर्ष की अन्य व्यापक आय	–	–	(3.06)	(3.06)
घटाएं : पिछले वर्ष में पूंजीकृत व्यय का उलटफेर '	–	–	(26.35)	(26.35)
जोड़ें रू वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	–	10,000.00	–	10,000.00
वर्ष का कुल व्यापक आय	–	10,000.00	249.62	11,714.56
लाभांश का भुगतान किया गया	–	–	–	–
31 मार्च 2019 को शेष	–	10,000.00	1,714.56	11,714.56

कृपया टिप्पणी 4.1 देखें

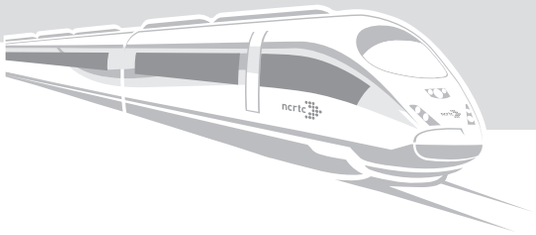

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उसकी ओर से

कृते ए. सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 008079एन

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

(अनील कुमार सिंगारिया)
निदेशक
डीआईएन : 08507367

ए. सी. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 008565

(वाय. पी. सक्सेना)
मुख्यावित्त अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
स.सं. ए 21652

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कॉरपोरेट सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है (U60200DL2013GOI256716) और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत 21 अगस्तव 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों को आरामदायक और द्रुत पारगमन प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्चट संवृद्धि को पूरा करने के लिए एनसीआर में क्षेत्रीय त्वनरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) डिजाइन करने, विकसित करने, क्रियान्वित करने, वित्त पोषण करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने के उद्देश्य से अधिनिगमित किया गया था।

कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय 7/6, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त् क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 में अवस्थित है।

2. महत्वयपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.01 तैयार करने का आधार

31 मार्च 2019 को समाप्तं वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, 2016, 2017 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

2.02 मापन का आधार

इन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत रीति और एक उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछेक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों और परिभाषित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के मामले में, जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक (टिप्पणी सं. 6.1 देखें) द्वारा यथा अपेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

2.03 प्राक्कलनों और विवेक बुद्धि का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, प्राक्कलन और धारणाओं की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटन की संसूचित राशियों और आय तथा व्यय की संसूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्क्लनों से भिन्न हो सकते हैं।

प्राक्कंलनों और अंतर्निहित धारणाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन प्राक्कंलनों में परिवर्तन के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्ताविक परिणाम तथा प्राक्कनलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/प्रकट होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, प्राक्कलन के महत्व पूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना, लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गयी राशि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार है

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः** उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टण मूल्यों की मूल्यंह्रास पद्धति से सावधिक समीक्षा की जाती है। ये उपयोगी जीवन ऐतिहासिक अनुभवों और साथ ही साथ भावी घटनाक्रमों की प्रत्याशा पर आधारित होते हैं।

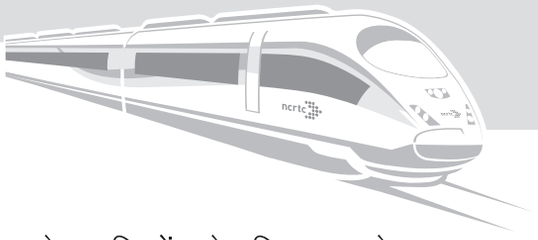

- **प्रावधानः** प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को दायित्वों के निपटान के प्राक्कालन के आधार पर किया गया है।
- **आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियांः** आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियों का प्रकटन प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया गया है, जिसकी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन प्राक्कलन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- **गैर वित्तीरय परिसंपत्तियों पर हानि परीक्षणः** पीपीई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों की धारणाओं के निर्णय के आधार किया गया है।
- **आस्थागित कर परिसंपत्तियों को मान्यपताः** आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भावी कर योग्यक आय की संभाव्यरता के मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसके सापेक्ष आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वः** कर्मचारी हितलाभ आबन्धोंत का मापन बीमांकिक धारणाओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु और प्रत्याहार दर और साथ ही साथ बट्टा दरों, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर में भावी प्रगति से संबंधित धारणाएं शामिल होती हैं। कंपनी मानती है कि इसके आबन्धों के मापन के लिए प्रयुक्ता धारणाएं उपयुक्तप और प्रलेखित हैं। तथापि, इन धारणाओं में किसी परिवर्तन का परिणामी परिकलन पर तात्त्विक प्रभाव पड़ सकता है।

2.04 सभी वित्तीय सूचना भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गयीं हैं और सभी मूल्यों को लाख के निकटतम अंकों पर शून्याकित किया गया है, सिवाय जब अन्यथा कथित हो।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्क्ष पद्धति का उपयोग करते हुए संसूचित किया गया है, जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकदी प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों के लिए और भूत या भविष्य की किसी नकद प्राप्तियां या भुगतान विलंबन या प्रोद्भवन के लिए समायोजित किया गया है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तवपोषण गतिविधियों के नकद प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में रोकड़ शेष, बैंकों में नकदी जमा और बैंकों में मांग जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट की शुद्ध मांग जो मांग पर प्रतिदेय है, जिसे कंपनी के नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, शामिल हैं।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय लेखांकन मानक 7 के संशोधन को अंगीकृत किया है, जिसमें कंपनियों को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में बदलाव का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं, प्रकटन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन–पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

2.06 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके मापा गया है जिस मुद्रा में कंपनी संचालन करती है (कार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कार्यात्मक और साथ ही कंपनी की प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन–देन को लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्राओं की मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन समय की विनिमय दर पर रूपांतरित किया गया है। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी गयी है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों यदि कोई हो, को घटाकर मापा गया है: –

परिसंपत्तियों की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सीधे ही परिसंपत्ति अधिग्रहण की लागत

ii. वस्तुओं को विघटित एवं हटाने और स्थल, जहॉ यह अवस्थित है, के पुनर्स्थापन की प्राक्क्लित लागतों का वर्तमान मूल्य, यदि मान्यता मापदंड पूरे किए गए हैं।

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत की लागतों को पूंजीकृत किया गया है, यदि मान्य ता मापदंड पूरे किए गए हैं।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के किसी मद के निपटान पर या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी भावी आर्थिक लाभ प्राप्त करने की प्रत्यासशा नहीं होती है, निकाल दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के किसी मद के निपटान या परित्यागि से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

मूल्यह्रास

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ii में यथा निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी लाइन विधि (एसएलएम) द्वारा किया जाता है सिवाय कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्धए कराए गए फर्निचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण और कोई अन्य् परिसंपत्ति, जिनका मूल्यरह्रास 4 वर्षों की अवधि पर किया जाता है।

(ख) 5,000 रुपये या उससे कम की राशि पर अर्जित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास वाणिज्यिक जीवन को ध्यान में रखते हुए खरीद के वर्ष में 100% किया जाता है और पहचान के उद्देश्य के लिए पुनः इसका 1 रुपये का टोकन मूल्य रखा जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद के प्रत्येक भाग का अलग–अलग मूल्यह्रास किया जाता है यदि भाग की लागत वस्तु की कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	15
कंप्यूरटर	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्निचर और जुड़नार	10
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालयों में उपलब्ध कराई गयी परिसंपत्तियां	4

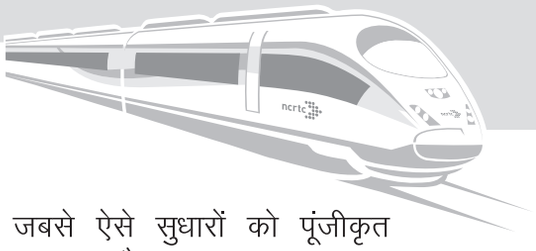

ङ) पट्टाधृत सुधारों को पट्टा अवधि के दौरान उस महीने से, जबसे ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया है, परिशोधित किया जाता है। पट्टा अवधि इस प्रकार हैः–

i. दिल्ली कॉर्पोरेट कार्यालय 4 वर्ष

ii. स्थल कार्यालय (गाजियाबाद और मेरठ) 3 वर्ष

(च) मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को की जाती है।

2.08 अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त संपत्ति को तब मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वेसनीयता से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत में संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर बताई जाती है।

परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन में उस तिथि से सीधी–रेखा विधि से परिशोधित किया जाता है जबसे वे उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार हैः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवन	आंतरिक रूप से उत्पन्न या अर्जित
सॉफ्टवेयर	3	अर्जित

परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्टक मूल्य की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है।

2.09 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

उस व्यय को, जिसे सीधे तौर पर कंपनी द्वारा क्रियान्वित परियोजना के साथ जोड़ा जा सकता है, 'प्रत्यीक्ष परियोजना व्यय' के तहत 'प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य' के नामे किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ की प्रकृति का अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से सीधे तौर पर संबद्ध अप्रत्यक्ष व्यपय को परियोजना को प्रभारित किया जाता है। अन्य अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना पर और साथ ही साथ परियोजना के अलावा दोनों पर किए जाते हैं, जिनको अनुपातिक रूप से, अलग अलग परियोजना कॉरिडोर में शामिल प्रयासों और अन्यर प्रासंगिक कारकों को ध्यासन में रखते हुए प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, परियोजना पर आवंटित किया जाता है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे कि उधार ली गई निधि पर अर्जित ब्याज आय, निविदा दस्तावेज की बिक्री आदि, निर्माण के दौरान व्यय में समायोजित की जाती है।

2.10 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि

परिसंपत्तियों पर हानि संबंधी भारतीय लेखांकन मानक–36 के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की वहन राशियों का, यह निर्धारण करने के लिए कि क्या हानि का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि के उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर प्राप्त मूल्य और उपयोग मूल्य में से उच्च तर मूल्य को प्राक्कंलित किया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी सृजक इकाई की आय की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में हानि की पहचान की जाती है। पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि

हानि को उलट कर दिया जाता है, अगर वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में बदलाव हुआ है और इस तरह के नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। हानि हानि के विपर्यास को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.11 राजस्व मान्यता

(i) ब्याज आय को एक समय अनुपात के आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए पहचाना जाता है।

(ii) लाभांश को तब पहचाना जाएगा जब संस्थानओं का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थातपित हो जाता है, आर्थिक लाभ संस्थाए को प्रवाहित होगा और राशि को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

2.12 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) इस अवधि के लिए भविष्य निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। उपदान, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सीय लाभ, बीमारी का अवकाश, अर्जित अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत के प्रति कंपनी की बाध्यता को बीमांकिक आधार पर निर्धारित किया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) पुनः मापन में बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, परिभाषित हितलाभ देयता के शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को उस अवधि में, जब वे घटित होते हैं, अन्यि व्यारपक आय (ओसीआई) में तुरंत पहचाने जाते हैं। बाद की अवधि में पुनः मापन को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

(ग) विदेशी सेवा योगदान के प्रति प्रावधान/देयता निर्धारण कर्मचारियों मूल संगठन के प्रतिनियुक्ति के नियमों और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं और लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

2.13 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष तौर पर लिए गए सामान्य और विशिष्ट उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जबतक परिसंपत्तियां उनके आशयित उपयोग के लिए पर्याप्तं रूप से तैयार होतें हैं।

एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्तव समय अवधि आवश्य क होती है। अन्ये सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिस अवधि में उनका वहन किया जाता है।

2.14 आयकर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय और कर क्रेडिट की गणना के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर देनदारियां तब ऑफसेट होती हैं जब अभिज्ञात राशियों को निर्धारित करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है

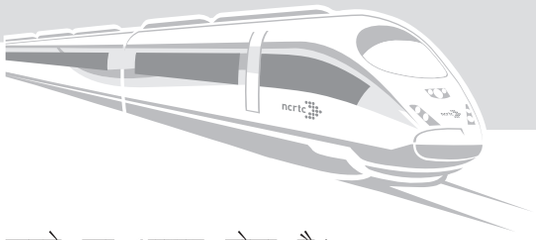

और शुद्ध आधार पर परिसंपत्ति और देयता का निपटान करने का आशय होता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मदों से संबंद्ध वर्तमान कर को ओसीआई में दर्शाया जाता है।

ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 12) ''आय कर'' के अनुसार

(i) आस्थगित आयकर कर और देनदारियों को अस्थायी अंतर के लिए दर्शाया जाता है, जिसकी संगणना कर दरों और कर कानूनों, जिन्हें प्रतिवेदन तिथि को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है, का उपयोग करके की जाती है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है कि यह संभाव्या है कि कर योग्यं लाभ उपलब्ध, रहेगा, जिसके एवज में कटौती योग्या अस्थायी अंतर, और अग्रेणित अप्रयुक्तप कर क्रेडिट और अप्रयुक्तग कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों की भरपाई तब होती है जब वर्तमान कर निरूपित करने वाली देनदारियों के एवज में परिसंपत्तियों का प्रतिविरूपण करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां समान शासी कराधान कानूनों द्वारा वसूले गए आय कर से संबंधित हैं।

(iv) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह समूह अनभिज्ञात आस्थधगित कर परिसंपत्तियों को, यदि कोई हो, पुनर्निधारित करता है।

(v) आस्थगित आय कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है जिस सीमा तक आस्थगित आय कर परिसंपत्ति के पूरे या अंश का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना नहीं रह गयी है।

(vi) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मद से संबद्ध आस्थगित कर को ओसीआई में अभिज्ञात किया गया है।

2.15 निवेश संपत्तियां

क) निवेश संपत्तियों में, संपन्न संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तक पट्टा के तहतधारित संपत्ति, जो किराया कमाने के लिए या पूंजी अधिमूल्य न या दोनों के लिए धारित हैं, न कि कारोबार के सामान्यम क्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन या प्रशासनिक प्रकार्यों में उपयोग के लिए, शामिल हैं।

ख) निवेश संपत्तियों को, संचित मूल्यह्रास और संचित हानि के शुद्ध लागत पर दर्शाया जाता है।

ग) कंपनी निवेश संपत्ति के प्रत्येयक घटक का उसकी मूल खरीद की तिथि से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित जीवनकाल पर मूल्यह्रास करती है।

घ) निवेश संपत्तियों को या तो तब अस्वीकृत किया जाता है जब उनका निपटान हो चुका

होता है या जब वे स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले ली जाती हैं और उनके निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। शुद्ध निपटान आगम और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर को अस्वीकरण अवधि के दौरान लाभ या हानि में अभिज्ञात किया जाता है।

2.16 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को देनदारियों के संबंध में अभिज्ञात किया जाता है जिनका मापन केवल अनुमानों की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके किया जा सकता है जब :

(i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व होता है।

(ii) दायित्व के निपटान हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी तथा

(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है

प्रावधानों की छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वजपूर्ण होता है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता हैः

(i) अतीत की किसी घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभाव्या नहीं है कि दायित्वक के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगीय या

(ii) वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। या

(iii) कोई संभावित दायित्वो, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना क्षीण न हो।

आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक आकस्मिक देनदारी और प्रावधानकी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को समीक्षा की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन वहॉ किया जाता है जहां आर्थिक हितलाभ के अंतर्प्रवाह प्रवाह की संभावना होती है।

2.17 पट्टे

वित्त पट्टाः –

वित्त पट्टा, जो प्रभावी रूप से पट्टाधृत परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक सभी जोखिमों और हितलाभों को सारतः कंपनी को अंतरित करता है, को उचित मूल्य और पट्टा अवधि की शुरूआत में न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य में से निम्नतर मूल्यो पर पूंजीकृत और पट्टाधृत परिसंपत्ति के रूप में प्रकटन किया जाता है।

पट्टा भुगतानों का वित्त प्रभार और रिटर्न की निहित दर के आधार पर पट्टा देयता में कमी के बीच प्रभाजन किया जाता है। वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है, तो परिसंपत्ति

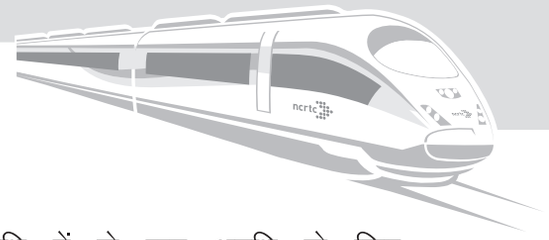

का उसके अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि में से कम अवधि के लिए मूल्यह्रास किया जाता है।

प्रचालन पट्टा –

प्रचालन पट्टा को प्रचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफल के महत्वपूर्ण हिस्से को कंपनी को अंतरित नहीं किया जाता है।

भुगतान को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि से प्रभारित किया जाता है, सिवाय इसके जहां पट्टा भुगतान को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति स्वारूप प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए पट्टे में संरचित किया जाता है।

2.18 अनुदान सहायता

परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को सरकार से प्राप्तह अनुदान को प्रारंभ मं 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हें बाद में उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में प्रासंगिक परिसंपत्ति के जीवन पर प्रत्येक वर्ष आय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के दौरान शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 इक्विटी धारकों को लाभांश

वर्ष में दत्त/देय लाभांश को उस वर्ष में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष में संबद्ध लाभांश को शेयर धारकों या यथा उपयुक्तर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर कुछेक वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारियों को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस उपधारणा पर आधारित होता है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को अंतरित करने के लिए लेनदेन या तो :

- परिसंपत्ति या देनदारी के प्रमुख बाजार में होता है या
- प्रमुख बाजार के नहीं होने के कारण, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में होता है।

प्रमुख बाजार या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग

किया जाएगा, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होते हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट्स के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्रमाणित आदानों के उपयोग को कम करते हैं।

2.22 वित्तीय प्रपत्र : –

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब कंपनी लिखत संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे तौर पर देय लेनदेन लागत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है या उससे कटौती की जाती है।

(ii) इसके बाद का मापन

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी व्यवसाय के तहत धारित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्ती करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मतक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह से केवल बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का भुगतान होता है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियां को एक व्यवसाय के तहत धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह की वसूली कर और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मतक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह से केवल बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का भुगतान होता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे प्रारंभिक लागत पर या प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के कारण लेनदेन की लागत सीधे लाभ या हानि में अभिज्ञात किया जाता है।

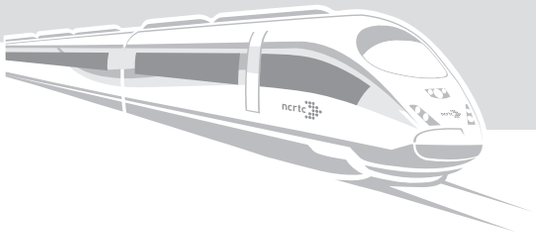

वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

व्यापार और अन्य देयों, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन आदि द्वारा निरूपित परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर अभिज्ञात किया जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर वहन किया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर कोई वित्तीय देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का कोई हिस्सा या इसी तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य् किया जाता है जब उस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और सारतरू परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफल को स्थानांतरित कर देता है।

वित्तीय देनदारी

किसी वित्तीय देनदारी को तब अमान्यर किया जाता है जब उस देनदारी के तहत दायित्वस का निर्वहन या रद्द या समाप्ति हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता के दूसरी देनदारी से सारतरू भिन्ने शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देनदारी की शर्तों को सारतरू संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या उपांतरण को मूल देनदारी के अमान्यनकरण के रूप में और नयी देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन राशियों में अंतर लाभ या हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानिः

कंपनी हानि हानि के मापन और मान्यता के लिए प्रत्यारशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान का अनुप्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रारंभिक मान्येता से ही प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर जीवनपर्यंत ईसीएल पर आधारित हानि हानि भत्ते को मान्यता देता है।

कंपनी परिशोधित लागत पर वहन की गयी इसकी परिसंपत्तियों और एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों से संबद्ध प्रत्यागशित क्रेडिट हानियों का प्रगतिशील आधार पर निर्धारण करती है। हानि पद्धति इस पर अनुप्रयुक्त होता है कि क्याल क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.23 किसी अवधि के दौरान अभिज्ञात ईसीएल हानि हानि यज्ञा (या विपर्यय) को लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मुख्यब रूप से किसी बिक्री लेनदेन के

माध्यम से की जाती है और बिक्री काफी संभाव्यप मानी जाती है। बिक्री को काफी संभाव्यर तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह असंभावित हो कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री इस वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित हो। निपटान समूह जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है को वहन मूल्यर और उचित मूल्य से बिक्री मूल्यल घटाई गयी राशि में से निम्नेतर पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों जब बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि भारतीय लेखांकन मानक 105 ''बिक्री और प्रचालन बंद के रूप में धारित गैर मौजूदा परिसंपत्तियां'' के मापदंड को यदि अब पूरा नहीं किया जा सकता है तो निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण समाप्तब हो जाता है। गैर दृ मौजूदा परिसंपत्ति जिसका वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में समाप्त हो जाता है, का मापन (i) परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की इसकी वहन राशि, जिसे उस मूल्यह्रास से समायोजित किया गया हो, जिसे तब मान्यता मिलती जब उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया होता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो जाता है, के निम्नतर पर मापा जाता है।

2.24 तुलन पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाएँ

तुलन पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं पर भारतीय लेखांकन मानक 10 (तुलन पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं) के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विचार किया जाता है।

2.25 उन लेखांकन नीतियों का प्रकटन नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है। जब इस तरह की लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाती हैं, तो उसका प्रकटन किया जाएगा।

2.26 हाल ही में लेखांकन उद्घोषणाएँः मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैंः

भारतीय लेखांकन मानक 116 पट्टे

एम सी ए ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखांकन मानक 116 अधिसूचित किया है। यह मानक पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तु9ति और प्रकटन के लिए अतिरिक्त/नये सिद्धांत तय करते हैं। भारतीय लेखांकन मानक 116 पट्टे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टाकर्ता इस तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रदान करें जो उन लेनदेन को विश्वदसनीय तरीके से निरूपित करता हो। नये पट्टा मानक सभी निकायों पर लागू है और यह भारतीय लेखांकन मानक के तहत सभी वर्तमान पट्टा मान्यता अपेक्षओं को अधिक्रांत करता है।

भारतीय लेखांकन मानक 116 की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से इस मानक को अंगीकृत करने की आवश्यकता है। कंपनी वर्तमान में भारतीय लेखांकन मानक 116 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और अगले कुछ वर्षों में जब तक कि कंपनी प्रचालन चरण में पहुँचती है वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

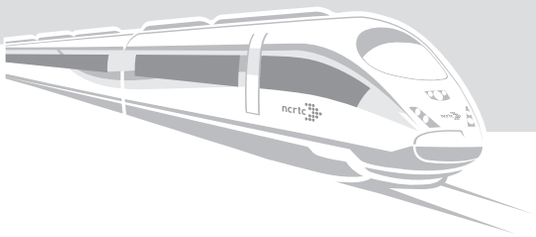

टिप्पणी 3

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	ईडीपी परिसंपत्तियां	पट्टाधृत सुधार	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कुल
सकल वहन राशि 1 अप्रैल 2017 को	**18.72**	**50.35**	**20.64**	**25.41**	**115.12**
अतिरिक्त	39.88	596.54	123.64	123.67	883.73
निपटान / समायोजन	(0.40)	—	(0.07)	—	(0.47)
31 मार्च 2018 को	**58.20**	**646.89**	**144.21**	**149.08**	**998.38**
अतिरिक्त	45.33	77.36	48.93	49.66	221.28
निपटान / समायोजन	(2.09)	(62.03)	—	—	(64.12)
31 मार्च 2019 को	**101.44**	**662.22**	**193.14**	**198.74**	**1,155.54**
संचित मूल्य ह्रास और हानि 1 अप्रैल 2017 को	**3.13**	**6.08**	**2.99**	**1.53**	**13.73**
वर्ष का मूल्य ह्रास प्रभार	12.25	60.22	19.63	9.31	101.41
निपटान / समायोजन	(0.22)	—	(0.23)	—	(0.45)
31 मार्च 2018 को	**15.16**	**66.30**	**22.39**	**10.84**	**114.69**
वर्ष का मूल्यह्रास प्रभार	24.92	189.79	33.65	21.20	269.56
निपटान / समायोजन	(0.77)	—	—	—	(0.77)
31 मार्च 2019 को	**39.31**	**256.09**	**56.04**	**32.04**	**383.48**
शुद्ध वहन मूल्य 31 मार्च 2019 को	**62.13**	**406.13**	**137.10**	**166.70**	**772.06**
31 मार्च 2018 को	**43.04**	**580.59**	**121.82**	**138.24**	**883.69**

टिप्पणी 4

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	**433.37**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	1,909.09
समायोजन (पूंजीकृत)	(238.96)
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**2,103.50**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	10,611.92
समायोजन (पूंजीकृत)	(26.35)
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**12,689.07**

टिप्पणी 4.1 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का ब्यौरा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	दिनांक 01.04. 2017 को	अतिरिक्त	समायोजन (पूंजीकृत)	दिनांक 31.3. 2018 को	अतिरिक्त	समायोजन (पूंजीकृत)	दिनांक 31.3.2019 को
क) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य– अन्यन (गैर परियोजना)							
पट्टाधृत सुधार	167.10	71.86	(238.96)	–	–	–	–
कुल	**167.10**	**71.86**	**(238.96)**	–	–	–	–
ख) परियोजना व्यज							
जी एस टी के अलावा प्राथमिक परियोजना व्यव	162.39	391.39	–	553.78	3,252.15	–	3,805.93
जीएसटी संबंधी व्यय *	–	129.51	–	129.51	2,168.81	–	2,298.32
निर्माण के दौरान अनुषांगिक व्यय **	105.05	1,319.94	–	1,424.99	5,191.62	(26.35)	6,590.26
(टिप्पकणी सं. 4.2 देखें) निविदा बिक्री	(1.17)	(3.61)	–	(4.78)	(0.66)	–	(5.44)
कुल	**266.27**	**1,837.23**	–	**2,103.50**	**10,611.92**	**(26.35)**	**12,689.07**
सकल योग	**433.37**	**1,909.09**	**(238.96)**	**2,103.50**	**10,611.92**	**(26.35)**	**12,689.07**

वर्गीकरण में परिवर्तन है, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अधीन पिछले वर्ष में पूंजी अग्रिम दर्शाया गया, अब गैर मौजूदा परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

'वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने पूर्ति/संकर्म इत्यादि के लिए पूर्तिकार/संविदाकार को किए गए भुगतान के मद में 2168.81 लाख रुपये की जीएसटी का सीडब्यूं आईपी के भाग के रूप में पूंजीकृत किया है, जिसे प्रगतिधीन परियोजना से संबद्ध प्रतिपूर्ति के मद में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अनर्हक क्रेडिट के रूप में जीएसटी विवरणी में दाखिल किया गया है। कॉरिडोर के वित्तीय प्रतिमान और 7 मार्च 2018 के संस्वी कृति पत्र के आधार पर सीडब्यू क आईपी माना गया है, क्योंकि अप्रत्यमक्ष कर (सीमा कर और जीएसटी) को केंद्रीय और राज्यय सरकारों से अधीनस्था ऋण के रूप में कंपनी को प्रतिपूर्ति की जानी है।

कंपनी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेश के अनुसार अभी संबंधित सरकारों को अधीनस्थी ऋण के रूप में प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध नहीं किया है।

''वर्ष के दौरान, एक अन्य कंपनी के इसी प्रकार के मामले में भारत के चार्टर्ड अकाउंटैंट संस्था न की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के अनुसार कंपनी ने मानव संसाधन के कर्मचारियों, मुख्यज प्रबंधकीय कार्मिकों के वेतन से संबंधित व्ययों और हाउस कीपिंग व्ययों के लिए पूंजीकरण ट्रीटमेंट को संशोधित किया है, क्योंकि उपर्युक्तं ईएसी मत में शामिल परिस्थितियां बिल्कुणल ही कंपनी के प्रचालन के समान हैं। पिछले वर्ष के प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार प्रतिधारित अर्जन में समायोजित किया गया है। इसके कारण पिछले वर्ष के सीडब्यूम आईपी और प्रतिधारित अर्जन 26.35 लाख रुपये कम हो गया है।

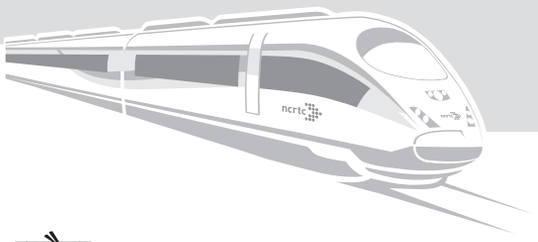

टिप्पणी 4.2 निर्माण के दौरान अनुषांगिक व्यय का ब्यौरा

टिप्पणी 4.2.1 मूल्य ह्रास और परिशोधन लागत

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास (टिप्पणी – 3 देखें)	266.83	82.27
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी –5 देखें)	2.52	0.90
उप–योग (क)	**269.35**	**83.17**

टिप्पणी 4.2.2 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	1,411.24	517.12
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	65.05	30.48
उप–योग (ख)	**1,476.29**	**547.60**

टिप्पणी 4.2.3 अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय किराया	278.24	226.67
शुल्क, दरें एवं कर	1.38	1.15
मरम्मत अनुरक्षण और अन्य	7.88	3.40
बिजली एवं ईंधन	41.97	12.78
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	240.71	–
यात्रा व्यय	199.15	178.96
विधिक एवं पेशेवर शुल्कु	188.16	95.83
तकनीकी अन्वेशषण एवं सर्वेक्षण व्यय	498.94	
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	10.22	–
सलाहकारी प्रभार	1,289.50	–
तकनीकी सहायता सेवाएं	168.22	–
सुरक्षा सेवाएं	39.88	–
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	50.51	23.97
संचार व्यय	30.36	26.19
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	6.32	0.26
बैठक एवं सम्मेलन	272.15	15.57
व्यापार संवर्द्धन व्यय	35.70	–
विज्ञापन एवं प्रचार–निविदा	54.27	37.26
हाउसकीपिंग व्यय	9.78	61.83
विविध व्यय	6.51	5.30
सॉफ्टवेयर व्यय	16.13	–
उप–योग (ग)	**3,445.98**	**689.17**
अनुषांगिक व्यय का सकल योग (क + ख + ग)	**5,191.62**	**1,319.94**

टिप्पणी 5
अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	**1.99**	**1.99**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	2.41	2.41
समायोजन	–	–
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**4.40**	**4.40**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	4.42	4.42
समायोजन	–	–
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**8.82**	**8.82**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	**0.48**	**0.48**
वर्ष के दौरान परिशोधन	1.12	1.12
वर्ष के दौरान हानि	–	–
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**1.60**	**1.60**
वर्ष के दौरान परिशोधन	2.52	2.52
वर्ष के दौरान हानि	–	–
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**4.12**	**4.12**
शुद्ध वहन मूल्यश		
31 मार्च 2019 को	**4.70**	**4.70**
31 मार्च 2018 को	**2.80**	**2.80**

टिप्पणी 6
वित्तीरय परिसंपत्तियां – गैर – मौजूदा
6.1 ऋण/प्रतिभूति जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा–एएमडीए	54.46	15.34
अन्य प्रतिभूति जमा	0.76	–
कुल	**55.22**	**15.34**

टिप्पणी 7
आस्थ गित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. आस्थगित कर देनदारियां	–	–
आस्थगित कर देनदारियों का कुल	–	–
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.71	1.06
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2.81	1.63
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का जोड़	**6.52**	**2.69**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियां) शुद्ध	**6.52**	**2.69**

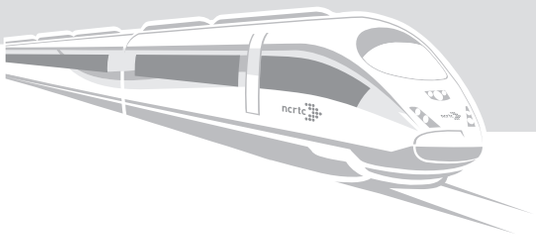

आस्थ–गित कर परिसंपत्तियों / (देनदारी) में गतिविधि

(लाख रुपये में)

विवरण	प्रावधान	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	प्राथमिक व्यय	कुल
1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	0.59	(1.62)	4.45	3.42
वर्ष 2017–18 के दौरान (प्रभारित) / आकलित				
लाभ एवं हानि में	1.04	2.68	(4.45)	(0.73)
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	1.63	1.06	–	2.69
वर्ष 2918–19 के दौरान (प्रभारित) / आकलित				
लाभ एवं हानि में	–	2.65	–	2.65
अन्य व्यापक आय में	1.18	–	–	1.18
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**2.81**	**3.71**	–	**6.52**

टिप्पणी 8

अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तिया

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) पूंजीगत अग्रिम	12,483.92	1,517.69
ख) उचित मूल्यग समायोजन – प्रतिभूति जमा'	5.30	2.48
कुल	**12,489.22**	**1,520.17**

* यह प्रतिभूति जमा के लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित भाग को निरूपित करता है।

टिप्पीणी 9

वित्तीतय परिसंपत्तियां मौजूदा

टिप्पीणी 9.1 नकद और नकद समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
रोकड़ शेष		
हस्त गत चेक / ड्राफ्ट		
बैंकों में जमा शेष :		
– चालू खाते में	0.60	18.19
– फ्लेक्सी जमा में	15,474.69	853.08
– अग्रदाय में	1.56	0.60
3 माह या कम अवधि की सावधि जमा	23,254.97	–
कुल	**38,731.82**	**871.87**

टिप्पणी 9.2

नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
3 माह से अधिक और 12 माह तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	11,900.00	6,356.56
कुल	**11,900.00**	**6,356.56**

टिप्पणी 9.3

ऋण/प्रतिभूति जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अप्रत्याभूत/अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा–पट्टा किराया कर्मचारी	2.24	1.98
कुल	**2.24**	**1.98**

टिप्पणी 9.4

अन्य– मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मियादी जमा पर उपचित ब्याज	142.27	138.26
एएमडीए से वसूली योग्य	8.03	147.57
अन्य वसूली योग्य राशियां	1.45	1.40
कुल	**151.75**	**287.23**

टिप्पणी 10

मौजूदा कर परिसंपत्तिया

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अग्रिम कर और टीडीएस	265.80	123.31
घटाएं रू आय कर के लिए प्रावधान	(206.84)	(99.49)
अग्रिम कर और टीडीएस (प्रावधानों का शुद्ध)	58.96	23.82
अपील के लिए जमा	1.23	1.23
कुल	**60.19**	**25.05**

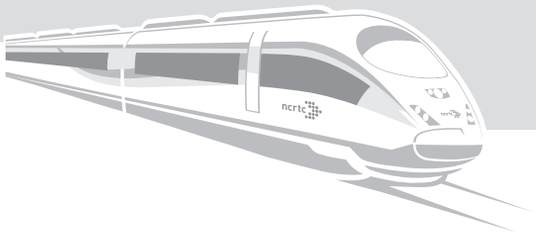

टिप्पणी 11
अन्य मौजूदा परिसंपत्तिया

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	0.04	-
अन्यच अग्रिम	7.82	-
उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा'	3.73	1.07
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	14.05	20.89
पूर्व भुगतान व्यय	21.16	12.48
कुल	**46.80**	**34.44**

* यह प्रतिभूति जमा के लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित भाग को निरूपित करता है।

टिप्पणी 12
इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी **100** रुपये प्रत्येक के **1,00,00,000** इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
(31 मार्च 2018 को 100 रुपये प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
जारी/अभिदत्त और चूकता पूंजी		
100 रुपये प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 100 रुपये प्रत्येटक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
कुल	**10,000.00**	**10,000.00**

टिप्पटणी 12.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
जारी /अभिदत्त और चूकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में बकाया थी	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर (बोनस) वर्ष के अंत में बकाया			-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**100.00**	**10,000.00**	**100.00**	**10,000.00**

टिप्पणी 12.2

शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

इक्विटी शेयररू कंपनी के पास एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिसका मूल्या प्रति शेयर 100 रुपये है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्यक शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के वितरण के बाद बच रही शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी 12.3

कंपनी के कुल शेयरों का 5% से अधिक हिस्सा धारित करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्यां	धारिता का %	शेयरों की संख्यां	धारिता का %
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%
रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5,00,000	5.00%	5,00,000	5.00%
राज्य सरकार				
एन. सी. टी. दिल्ली सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
हरियाणा सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
राजस्थान सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
उत्तर प्रदेश सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
कुल	**1,00,00,000**	**100.00%**	**1,00,00,000**	**100.00%**

टिप्पणी 12.4

प्रतिवेदन तिथि के ठीक पहले चार वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के माध्यम से पूर्ण चूकता के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की समुदित संख्या

संख्या लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

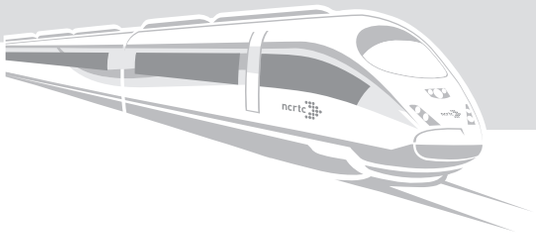

टिप्पणी 13

अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क. प्रतिधारित अर्जन	1,714.56	1,464.94
ख. आस्थिगित आय		
i. **मौद्रिक अनुदान**	10,000.00	-
कुल	**11,714.56**	**1,464.94**

प्रतिधारित अर्जन कंपनी के निर्विवाद लाभ है।

टिप्पणी 13.1

प्रतिधारित अर्जन

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रारंभिक शेष	1,464.94	1,195.17
जोड़ें : अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित लाभ	279.03	269.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(3.06)	-
घटाएं :		
पिछले वर्ष में किए गए खर्चों का विपर्यस '	(26.35)	-
अंतिम शेष	**1,714.56**	**1,464.94**

* कृपया टिप्पणी 4.1 देखें

टिप्पणी 13.2

आस्थगित आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मौद्रिक अनुदान		
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार	10,000.00	-
अंतिम शेष	**10,000.00**	**-**

टिप्पणी 13.2.1

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 ''सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिनांक **31.03.2019** तक प्राप्त कुल अनुदान का अलग – अलग विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मौद्रिक अनुदान – दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण–पूर्व गतिविधियाँ	10,000.00	-
कुल	**10,000.00**	**-**

टिप्पणी 14

दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
– उपदान का प्रावधान	22.00	4.30
– छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	54.18	9.59
– अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	31.85	4.84
कुल	**108.03**	**18.73**

टिप्पणी 15

अन्य गैर–वर्तमान देनदारियाँ

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम		
सरकार से अग्रिम*	53,500.00	-
कुल	**53,500.00**	**-**

दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा क्रमशः 26,000 लाख रुपये और 26,500 लाख रुपये की राशि को दर्शाता है। निधि की प्रकृति (अनुदान/गौण ऋण के रूप में) में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने दो अन्य कॉरिडोरों, नामतः दिल्ली–एसएनबी कॉरिडोर और दिल्ली–पानीपत कॉरिडोर, इन परियोजना कॉरिडोरों की संस्वीकृति लंबित रहते हुए 1000 लाख रुपये की राशि जारी की है।

स्पष्टीकरण/परियोजना की मंजूरी के अभाव में इस राशि को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पीणी 16

वित्तीय देनदारी

टिप्पणी 16.1 अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
व्ययों के देनदार	1,114.06	410.07
अग्रिम राशि जमा	176.00	53.95
प्रतिभूति जमा राशि	75.03	15.90
कुल	**1,365.09**	**479.92**

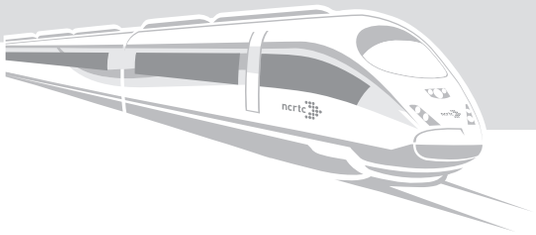

टिप्पणी 17

अन्य चालू देनदारियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वैधानिक बकाया		
– टीडीएस देय	152.80	81.79
– जीएसटी देय	28.31	0.09
– भवन एवं श्रम उपकर देय	4.37	-
भविष्य निधि	14.53	29.69
कुल	**200.01**	**111.57**

टिप्पणी 18

अल्पायवधिक प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कर्मचारी हितलाभ प्रावधान		
– उपदान का प्रावधान	0.13	0.02
– छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	4.45	0.70
– अन्य कर्मचारी हितलाभ का प्रावधान	17.32	29.44
कुल	**21.90**	**30.16**

टिप्पणी 19

अन्न आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	751.94	632.58
कुल (ए)	**751.94**	**632.58**
अन्य गैर–परिचालन आय		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	6.83	0.98
अन्य विविध आय	8.52	0.44
कुल (ख)	**15.35**	**1.42**
कुल (क+ख)	**767.29**	**634.00**

टिप्पणी 20

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,447.45	579.41
कर्मचारी कल्याण व्यय	12.89	1.36
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान'	145.57	10.16
उप योग	**1,605.91**	**590.93**
घटाएं : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को अंतरित (टिप्पिणी संख्या 4.2.2 देखें)	1,476.29	547.60
कुल	**129.62**	**43.33**

* प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के मूल संगठनों को देय भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चु चिकित्सा सुविधा, अवकाश हितलाभ और अन्य हितलाभों के लिए 54.33 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 2.17 लाख रुपये) की राशि दत्त/देय है और इसे कर्मचारी हितलाभ व्यायों के तहत शामिल किया गया हैं।

टिप्पणी 21

मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी –3 देखें)	269.56	101.41
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन (टिप्पणी–5 देखें)	2.52	1.12
उपयोग	**272.08**	**102.53**
घटाएं रू प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को अंतरित (टिप्पसणी सं. 4.2.1 देखें)	269.35	83.17
कुल	**2.73**	**19.36**

टिप्पणी 22

अन्न व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय का किराया	293.74	263.43
शुल्क, दरें और कर	1.43	1.33

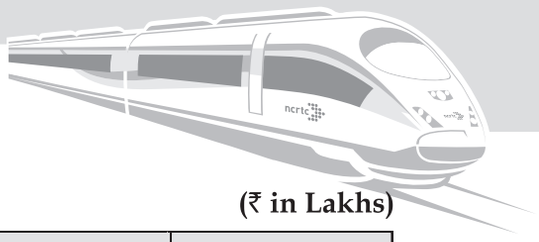

(₹ in Lakhs)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत रखरखाव मशीनरी और अन्य	8.12	4.44
बिजली और ईंधन	43.19	15.53
वाहन संचालन और रखरखाव	244.49	50.60
यात्रा व्यय	203.00	153.13
इंटरनेट प्रभार	15.53	-
लेखा परीक्षकों को भुगतान (टिप्पिणी नंबर –22.1 देखें)	0.70	0.50
विधिक और पेशेवर प्रभार	203.95	91.51
तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यिय	498.94	-
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	58.80	-
परामर्श प्रभार	1,290.86	48.91
तकनीकी सहायता सेवाएँ	168.22	-
सुरक्षा व्यय	53.25	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	51.72	29.52
संचार व्यय	30.97	32.63
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	7.64	31.59
व्यापार संवर्धन व्यय	39.57	13.22
विज्ञापन और प्रचार – निविदा	62.65	37.26
बैठक और सम्मेलन का व्यमय	272.24	35.13
हाउसकीपिंग व्ययय	87.25	79.14
सॉफ्टवेयर व्ययय	16.13	-
कार्यालय का व्ययय	36.66	-
विविध व्यय	7.83	7.40
उपयोग	**3,696.88**	**895.27**
घटाएंरू प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को अंतरित (टिप्पिणी संख्या 4.2.3 देखें)	**3,445.98**	**689.17**
कुल	**250.90**	**206.10**

टिप्पणी 22.1

लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षा शुल्कप	0.70	0.50
अन्य क्षमता में	-	-
कुल	**0.70**	**0.50**

टिप्पणी 23

आयकर व्यय (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर :		
वर्तमान आयकर प्रभार	108.33	99.49
आस्थगित कर :		
वर्तमान वर्ष के लिए	(2.65)	0.73
कुल	**105.68**	**100.22**
जोड़ें :		
पिछले वर्ष का कर	(0.67)	(4.78)
कुल	**105.01**	**95.44**

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच मिलानः

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	384.03	365.21
आयकर पूर्व लेखा लाभ	**384.03**	**365.21**
27.82ः की भारत की सांविधिक आयकर दर पर (31 मार्च 2018ः 27.5525ः)	106.84	100.62

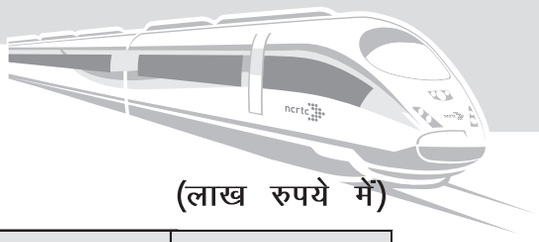

(लाख रुपये में)

उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
जोड़ें : आयकर में भारतीय लेखांकन मानक समायोजन की अनुमति नहीं दी गयी	0.01	(0.08)
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	1.48	(1.06)
आस्थगित कर मान्यता	(2.65)	0.73
कुल	**105.68**	**100.22**
लाभ और हानि विवरण में संसूचित आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	105.68	100.22
कुल	**105.68**	**100.22**
प्रभावी आयकर दर पर	27.52%	27.44%

टिप्पणी 24

प्रतिशेयर अर्जन (ईपीएस)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	(₹ प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	2.79	2.70
संचालन बंद होने से	-	-
तनुकृत ईपीएस		
निरंतर संचालन से	2.79	2.70
संचालन बंद होने से	-	-

24.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन और पिछले वर्ष की ईपीएस की संगणना में प्रयुक्तन अर्जन और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को वर्ष के दौरान बोनस शेयर के निर्गम के लिए समायोजन के पश्चात् पुनर्कथित किया गया है।

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ :		
निरंतर संचालन से	279.03	269.77
संचालन बंद होने से	-	-
प्रति शेयर मूल अर्जन की संगणना में प्रयुक्तय अर्जन	**279.03**	**269.77**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	100.00	100.00

24.2 तनुकृत प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या :–

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ :		
निरंतर संचालन से	279.03	269.77
संचालन बंद होने से	-	-
जारी संचालन से प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की संगणना में प्रयुक्त अर्जन	**279.03**	**269.77**

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के प्रयोजन से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्नणवत प्रति शेयर मूल अर्जन की संगणना में प्रयुक्त इक्विटी की भारित औसत संख्या् से मेल खाती है :

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या	100.00	100.00
तनुकरण का प्रभाव :	-	-
प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी 25

उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	एफवीटीपीएल* / एफवीटाओसीआ''	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल* / एफवीटाओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति				
(i) प्रतिभूति जमा	-	57.46	-	17.32
(ii) नकद और नकद समतुल्यर	-	38,731.82	-	871.87
(iii) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	-	11,900.00	-	6,356.56

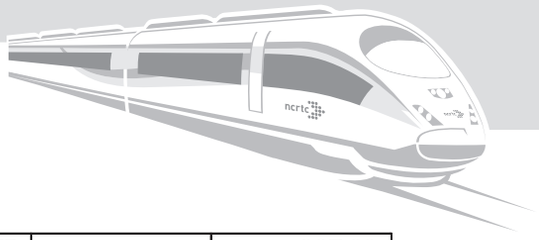

(iv) अन्य	-	151.75	-	287.23
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**50,841.03**	**-**	**7,532.98**
वित्तीय देनदारियों				
(i) अन्य	-	1,365.09	-	479.92
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**1,365.09**	**-**	**479.92**

* लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) परिसंपत्तियों और देनदारियां जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता हैं जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2019 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
प्रतिभूति जमा	55.22	54.45	15.34	15.47
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**55.22**	**54.45**	**15.34**	**15.47**

क. नकद और नकद समतुल्य और अन्य अल्पकालिक प्राप्य और अन्य देयों को उनकी अल्प.कालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक प्रतिभूति जमा के उचित मूल्यक का परिकलन मौजूदा बाजार दर का उपयोग करते हुए बट्टागत नकद प्रवाह पर किया गया। उन्हें अप्रेक्षणीय इनपुट के शामिल होने के कारण उचित मूल्यों के पदानुक्रम में के स्तयर दृ 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर–1 समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर–2 स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष (यानी कीमतों के रूप में) रूप से या अप्रत्यक्ष (यानी कीमतों के व्युत्पन्न से), संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर–3 परिसंपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य और परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप अनुक्रम को प्रस्तुत करती है

31 मार्च 2019 को वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मापन अनुक्रम परिमाणात्मक प्रकटन :–

(लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियांः				
प्रतिभूति जमा	-	-	54.45	54.45
कुल	-	-	54.45	54.45

31 मार्च 2018 को वित्तीपय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम परिमाणात्मजक प्रकटन :–

(लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियांः				
प्रतिभूति जमा	-	-	15.47	15.47
कुल	-	-	15.47	15.47

टिप्पणी 26

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों से संबंधित जोखिमों से अनावृत नहीं है। कंपनी की मुख्यी वित्तीय देनदारियों में अन्य देय, प्रतिभूति जमा और ईएमडी शामिल हैं। कंपनी की मुख्यप वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य और नकदी और नकद समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके संचालनों से प्राप्त होंगे।

भारत सरकार ने 7 मार्च 2019 को पहला कॉरिडोर अर्थात् दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर संस्वीकृत किया है। चरण–1 के दो अन्यल कॉरिडोर अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं। तथापि, मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और चल निधि जोखिम शामिल हैं। सर्वाधिक तात्विक वित्तीय जोखिम जिनके प्रति कंपनी अनावृत है, का नीचे वर्णन किया गया है।

क) बाजार जोखिम

परियोजना का पहला कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2019 को स्वीकृत किया गया और उसके बाद, भारत सरकार के व्यय विभाग के माध्यम से एशियाई विकास बैंक से उधार की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए, ब्याज दर जोखिम का निर्धारण नहीं किया गया है।

कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण, यदि कोई हो, के पुनर्भुगतान, और विदेशी मुद्रा में संविदाकारों/पूर्तिकारों को भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम से अनावृत होगी।

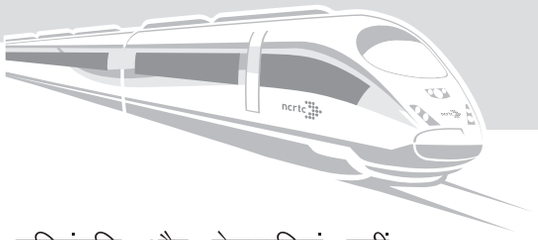

वर्तमान में, कंपनी के पास विदेशी मुद्रा में अपनी कोई परिसंपत्ति और देनदारियां नहीं हैं और इसलिए, मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए कोई विनिमय जोखिम नहीं है।

कंपनी को कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख) क्रेडिट जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य है प्रतिपक्ष द्वारा इसके दायित्व पर जोखिम चूक से है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। मुख्य रूप से, प्रतिवेदन तिथि को क्रेडिट जोखिम अनावरण (हलांकि महत्वपहीन) निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से होता है।

i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन।

नगद और नगद समतुल्यि।

नकद और नकद समतुल्यो से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अधीन हैं, में निधियों को रखकर किया जाता है और इन बैंकिंग संबंधों की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां।

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं, का मापन परिशोधन लागत पर किया गया है।

ii) प्रत्याशित क्रेडिट हानियां।

प्रतिवेदन तिथि में कंपनी को क्रेडिट हानि होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित मूल्य पर मापा गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की पुनर्प्राप्ति निगरानी के द्वारा किया जाता है, जबकि वहीं स्थाि्पत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि हानि नहीं होतायां क्षीण न हों। इन वित्तीय परिसंपत्तियों में प्रतिवेदन तिथियों को कोई हानि प्रावधान नहीं हैं। हम उपर्युक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिवेदन तिथि पर अच्छीश क्रेडिट गुणवत्ता मानते हैं।

ग) चल निधि जोखिम

हमारे चल निधि जोखिम की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की चल निधि जोखिम के मुख्य स्रोत प्रतिवेदन तिथि को शेयर पूंजी में अभिदान के मद में प्राप्तस नकद और नकद समतुल्य और सरकारी अनुदान हैं।

टिप्पणी 27

प्राक्कलन और धारणाएँ

भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण धारणाएं, और प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्राक्केलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत, जिनका अगले वित्तीय वर्ष की परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में तात्त्विक समायोजन कारित करने के महत्व्पूर्ण जोखिम हो सकते हैं, निम्नालिखित हैं।

क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ प्रतिमान सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन पद्धतियों के इनपुट जहॉ संभव हो प्रेक्षणीय से लिए गए हैं, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्यों निर्धारित करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विवेकपूर्ण निर्णयों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचारन शामिल हैं। इन कारकों से संबंधित धारणाओं में बदलाव वित्तीाय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है कि यह संभावित हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध नुकसान का उपयोग किया जा सकता है, अभिज्ञात की जा सकने वाली आस्थकगित कर परिसंपत्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए, भावी कर आयोजना रणनीतियों के साथ भावी कर योग्यग लाभ का संभावित समय और उसके स्तीर के आधार पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन टिप्पणी 2.6 में दिया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित होते हैं। कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

टिप्पणी 28

आकस्मिक देनदारी

कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारिती वर्ष 2015–16 की पूरी छानबीन के संबंध में आयकर विभाग की दिनांक 29.09.2017 का 6.15 लाख रुपये का मांग नोटिस प्राप्त हुआ है। तथापि, कंपनी ने उपर्युक्तत मांग को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी द्वारा सीआईटी (ए) में अपील की गयी है, सीआईटी (ए) के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तथापि, कंपनी ने मांग स्थपगन के लिए 1.23 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है।

टिप्पणी 29

संबंधित पक्ष खुलासा

29.1 इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

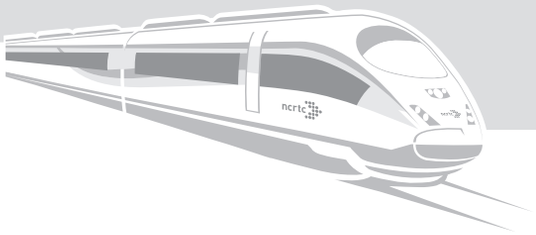

नाम	पद
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	निदेशक (दिनांक 26.11.2018 तक)
श्री मनोज कुमार	निदेशक (दिनांक 06.12.2018 तक)
श्री अंशु प्रकाश	निदेशक
श्री पी. गुरु प्रसाद	निदेशक
श्री राजीव स्वरूप	निदेशक
श्री अरुण कुमार गुप्ता	निदेशक (दिनांक 09.08.2018 तक)
श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक (दिनांक 10.05.2018 से)
श्री अपूर्व कुमार सिंह	निदेशक (दिनांक 09.08.2018 से)
श्री संजय मूर्ति कोंडरु	निदेशक (दिनांक 06.12.2018 से)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री वाई. पी. सक्सेना	मुख्य वित्त अधिकारी
श्री साकेत कुमार सिंह	कंपनी सचिव

नाम	रिश्ता	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2019 को समाप्ति वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्ति वर्ष
शून्य	-	-	-	-

29.2 प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक :

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक इस प्रकार थाः

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
अल्पावधिक हितलाभ	89.41	58.80
रोजगार के बाद के लाभ	6.87	2.68
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	5.36	5.21
कुल	**101.64**	**66.69**

टिप्पणी 30
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रुपये में)

वर्ष	अपेक्षित व्यय	अव्यित
वित्तीय वर्ष 2016 – 17	8.14	8.14
वित्तीय वर्ष 2017 – 18	12.14	12.14
वित्तीय वर्ष 2018 – 19	11.20	11.20
कुल	**31.48**	**31.48**

टिप्पणी :

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति ने 31.48 लाख रुपये के सीएसआर व्यय राशि को बाद के वर्षों में अग्रेणित करने को मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान निर्माण / प्रचालन शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (अर्थात् मियादी जमा पर ब्याज) से है।

टिप्पणी 31 : भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी हितलाभ'' के संबंध में प्रकटीकरण

31.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है :

क) भविष्य निधिः

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। देयता को उपार्जन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

ख) उपदान :

प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, वह सेवानिवृत्ति, त्याग्पत्र, निलंबन के बाद, और विकलांगता या मृत्यु पर, की गयी सेवा के प्रत्येवक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

योजना कंपनी द्वारा वित्ति पोषित है। इंड एएस–19 के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और देनदारी को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया गया है।

ग) पेंशन :

पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन के 2.5% की दर से कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है।

इस अवधि के लिए अंशदान हेतु प्रावधान को उपचय आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समुदित किया गया है। प्रतिनियुक्तः कर्मचारियों के लिए, पेंशन अंशदान की गणना ऋण संगठन/भारत सरकार नियमावली के अनुसार की जाती है और उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चा चिकित्सा सुविधा :

कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को उस दर पर जो नियमित कर्मचारी पर लागू है पर इनडोर चिकित्सा उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इससे संबंधित देयता को बीमांकित मूल्यांककन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

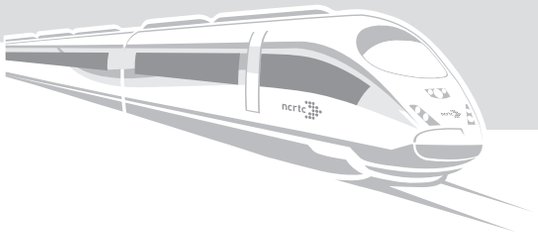

ङ) छुट्टी :

कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और आधा वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन और 20 दिन उपचित होता है। केवल नकदीकरण योग्यम छुट्टी खाते की छुट्टी को सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टी (गैर नकदीकरण योग्ये भाग और संराशिकरण के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया जा सकता है।

इससे संबंधित देनदारी को बीमांकिक मूल्यांलकन आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी वेतन अंशदान उनके मूल विभाग/संगठन को उनके द्वारा आहरित वेतन पर, उनके मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर देय होता है और इसे उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

च) छूट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :

कंपनी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर गृह–शहर या कही और अपने परिवार के साथ आराम और मनोरंजन का लाभ उठाते हुए की गयी यात्रा में शामिल व्यहयों को पूरा करने के लिए इसकी नीतियों के अनुसार सावधिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इससे संबंधित देनदारी को बीमांकिक मूल्यांसकन आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

31.2 लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन–पत्र और अन्य प्रकटन के विवरण में अभिज्ञात विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है :

(क) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चन चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**
दायित्व का वर्तमान प्रारंभिक मूल्य	4.32	10.30	1.66	1.29
ब्याज लागत	0.33	0.79	-	0.10
वर्तमान सेवा लागत	16.21	45.34		14.78
भुगतान किए गए/बट्टे खाते डाले गए हितलाभ	-	-	(1.27)	-
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	1.27	2.20	-	2.98
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
31 मार्च 2018 का				
दायित्व का वर्तमान प्रारंभिक मूल्य	0.77	1.96	-	-
ब्याज लागत	0.06	0.15	-	-
वर्तमान सेवा लागत	3.49	8.40	1.66	1.29
भुगतान किए गए/बट्टे खाते डाले गए हितलाभ	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	(0.21)	-	-
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्ये	4.32	10.30	1.66	1.29

(ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)
योजनागत परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किया गया हितलाभ	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
निधिबद्धता स्थिति	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को यथा स्थिति				
योजनागत परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किया गया हितलाभ	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	4.32	10.30	1.66	1.29
निधिबद्धता स्थिति	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)
वर्ष के अंत में दायित्वों का प्राक्कलित वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निधिबद्धता स्थिति	-	-	-	-
तुलन पत्र में अभिज्ञात शुद्ध देनदारी	22.13	58.63	0.39	19.15
31 मार्च 2018 को				
वर्ष के अंत में दायित्वों का प्राक्कलित वर्तमान मूल्य	4.32	10.30	1.66	1.29
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निधिबद्धता स्थिति	-	-	-	-
तुलन पत्र में अभिज्ञात शुद्ध देनदारी	4.32	10.30	1.66	1.29

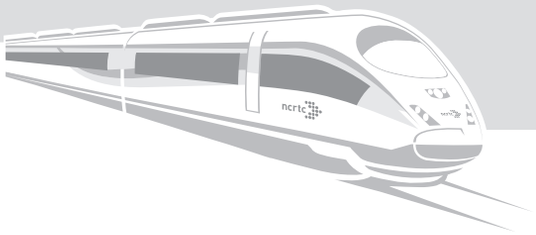

(घ) लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)
वर्तमान सेवा लागत	16.21	45.34	-	14.78
ब्याज लागत	0.34	0.79	-	0.10
बीमांकिक लाभ और हानि	-	-	-	-
लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात कुल व्यय	16.55	46.13	-	14.88
31 मार्च 2018 को यथा स्थिति				
वर्तमान सेवा लागत	3.49	8.40	1.66	1.29
ब्याज लागत	0.06	0.15	-	-
बीमांकिक लाभ और हानि	-	(0.21)	-	-
लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात कुल व्यय	3.55	8.34	1.66	1.29

(ड़) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में अभिज्ञात पुनर्मापन

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)
योजनागत परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	1.27	2.20	-	2.98
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल (लाभ)/हानि	1.27	2.20	-	2.98
31 मार्च 2018 को				
योजनागत परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	-	(0.21)	-	-
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल (लाभ)/हानि	-	(0.21)	-	-

(च) गैर–वर्तमान और वर्तमान दायित्व में वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)	(अनिधिबद्ध)
गैर–वर्तमान प्रावधान	22.00	54.18	0.19	19.15
वर्तमान प्रावधान	0.13	4.45	0.20	-
कुल प्रावधान	**22.13**	**58.63**	**0.39**	**19.15**

31 मार्च 2018 को				
गैर–वर्तमान प्रावधान	4.30	9.58	1.24	1.29
वर्तमान प्रावधान	0.02	0.70	0.42	-
कुल प्रावधान	**4.32**	**10.28**	**1.66**	**1.29**

(छ) भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त मुख्य बीमांकिक धारणा

(लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2019 को	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**	**(अनिधिबद्ध)**
बट्टा दर	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%
इम्पायूटड ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	प्रयोज्यर नहीं	प्रयोज्यर नहीं
प्रयुक्त् विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
31 मार्च 2018 को				
बट्टा दर	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%
आरोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रयुक्त् विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

(ज) तुलन पत्र में उपदान के संबंध में अभिज्ञात शुद्ध देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र द्वारा यथा अभिनिर्धारित, दिनांक 31.03.2019 को 22.13 लाख रुपये और दिनांक 31.03.2018 को 4.32 लाख रुपये है।

संवेदनशीलता विश्लेषण :

उपर्युक्त् संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए किसी धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ धारणाओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाओं के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय वित्तीय स्थिति के विवरण के भीतर अभिज्ञात

परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना करते समय एक ही विधि (अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि) का अनुप्रयोग किया गया है।

(लाख रुपये में)

बदलाव	धारणाओं में बदलाव	उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्च कर्मचारी हितलाभ पर प्रभाव
बट्टा दर	+0.5%	(1.45)	(3.64)	लागू नहीं	लागू नहीं
	-0.5%	1.59	3.99	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	1.60	2.42	लागू नहीं	लागू नहीं
	-0.5%	(1.47)	(2.09)	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी 32

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006' में परिभाषित किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की सूचना नहीं है, जिसका कंपनी पर कोई बकाया है।

टिप्पणी 33

परिसंपत्तियों की हानि

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन उम्मीद से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र तिथि पर किसी भी परिसंपत्ति में कोई हानि नहीं है।

टिप्पणी 34

संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ

परियोजना से संबंधित संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा 4,878.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1212.81 लाख रुपये) हैं।

टिप्पणी 35

शेष अभिपुष्टि

देनदार, अग्रिम और लेनदारों के तहत दर्शाए गए कुछ शेष राशियां पुष्टि/मिलान/समायोजन यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पक्षकारों को पुष्टि के लिए पत्र भेजती रही है। तथापि,

कंपनी को वसूली/भुगतान से संबंधित किसी भी तरह के तथ्यात्मक विवाद की उम्मीद नहीं है।

टिप्पणी 36

कंपनी की पट्टा व्यवस्था कंपनी के कार्यालयों के लिए परिसर के परिचालन पट्टों संबंधित है। ये पट्टा व्यवस्थाएं निरस्त की जा सकती हैं और सामान्यतः परस्पर सहमत शतों पर नवीकरणीय हैं।

(i) कार्यालय परिसर के लिए पट्टा भुगतान 293.74 लाख रुपये (263.43 लाख रुपये) {अन्य व्यय टिप्पणी 22 में शामिल है}

(ii) 31 मार्च 2019 को कार्यालय परिसर के लिए पट्टा भुगतान की मद में भावी पट्टा दायित्व 856.40 लाख रुपये है, जिसका ब्यौरा निम्नवत हैः –

(लाख रुपये में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2019–20**	**वित्तीय वर्ष 2020–21**	**वित्तीय वर्ष 2021–22**	**कुल**
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	322.70	348.45	150.07	**821.22**
स्थल कार्यालय, गाजियाबाद	8.00	4.78	-	**12.78**
स्थल कार्यालय, मेरठ	9.60	9.60	3.20	**22.40**
कुल	**340.30**	**362.83**	**153.27**	**856.40**

टिप्पणी 37

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के लिए तुलनीय बनाने हेतु, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, पुनः एकत्रित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 38

वित्तीय विवरणों को अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए 15 जुलाई, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

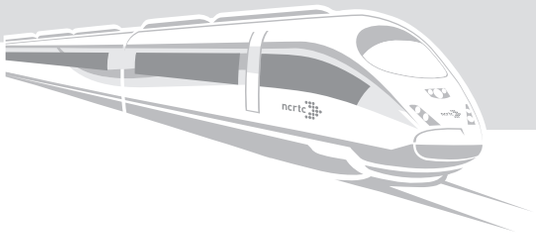

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 July 2019.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(C. Neduncheziian)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi
Dated: 6 September 2019

संख्या/ No. PDCA-II3-5/A/C/NCRTC/2019-20/CHQ-II/404

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated 6/9/19

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
7/6 सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049

विषय : **31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की **"शून्य टिप्पणियाँ"** अग्रेषित करता हूँ । इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की आमसभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ

C. Nedunchezhian

(सी. नेडुन्चेलियन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/ Tele.: 011-23378473, फैक्स/ Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in